पहली
FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2006-2007

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। रा ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

अगस्त August, 2006

परिचायक टिप्पणी

विषय : *अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच, 2006-07*

वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच में 42 अनुदान शामिल हैं। 47,868.97 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया हैं। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 8,667.95 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 39,200.66 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 36 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

2. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मुख्य मदें निम्नलिखित हैः

INTRODUCTORY NOTE

Subject : *First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2006-2007.*

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2006-07 includes 42 Grants. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs.47,868.97 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs.8,667.95 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/ recoveries aggregates to Rs. 39,200.66 crore. Besides, token provision of Rs.36 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The major items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय	**Cash Outgo**			
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**			
2 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	**2 Department of Agricultural Research and Education**			
"कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और विकास" नामक योजना के तहत सिविल निर्माण कार्यों, मानव संसाधन विकास, माडॅल संयंत्रों/फार्मों और उपकरणों आदि पर व्यय हेतु (200.00 करोड़ रुपए)।	For incurring expenditure on Civil Works, Human Resource Development, Model Plants/Farms and equipment, etc. under the scheme "Strengthening and Develoment of Agricultural Education" (Rs. 200.00 crore).	50.00	-	50.00
3 पशुपालन, डेरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग	**3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries**			
(क) आत्महत्या प्रवण जिलों में खेतीहर आबादी को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए (126.62 करोड़ रुपए)।	(a) For providing economic relief to farming population in the suicide prone districts (Rs. 126.62 crore).	26.62	-	26.62
(ख) एवियन फ्लु के प्रकोप के कारण कुक्कट उद्योग को दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार मूलधन की बकाया राशि पर ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए।	(b) To provide financial relief to the poultry industry following the outbreak of Avian Flu, in the form of interest subvention on the outstanding principal amount as on 31.3.2006.	-	80.00	80.00
(ग) राज्य सरकारों द्वारा आत्महत्या प्रवण जिलों में पीड़ित किसानों को मात्स्यिकी कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालन कार्य हेतु मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से निधियां जारी करने के लिए (7.00 करोड़ रुपए)।	(c) For release of funds by the State Governments to the affected farmers in the suicide prone districts through Fish Farmers Development Agencies for taking Aquaculture under Fisheries Programme (Rs. 7.00 crore)	3.38	-	3.38
परमाणु ऊर्जा विभाग	**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**			
5 परमाणु ऊर्जा	**5 Atomic Energy**			
राजा रमण उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर के भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों पर न्यायालय के आदेश के कारण देनदारियों के निर्वाह हेतु।	For discharging of liabilities on account of Court verdict on land acquisition cases of Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore.	3.00	-	3.00
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS**			
7 रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	**7 Department of Chemicals and Petrochemicals**			
(क) (i) भोपाल गैस आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि (50.00 करोड़ रुपए) हे	(a) For (i) compensation amount for Bhopal Gas Tragedy victims (Rs. 50.00 crore)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
और (ii) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए (34.00 करोड़ रुपए)।	and (ii) enabling Hindustan Antibiotics Limited to implement Voluntary Retirement Scheme (Rs. 34.00 crore).	-	84.00	84.00
(ख) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. की शेयर पूंजी के प्रति निवेश (23.31 करोड़ रुपए) और हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स एंड केमिकल्स लि. के शोध्य असंचयी अधिमान्य शेयर के प्रति निवेश (250.00 करोड़ रुपए) हेतु।	(b) For (i) investment towards share capital of Hindustan Antibiotics Limited (Rs. 23.31 crore) and (ii) investment towards redeemable non-cummulative preference share of Hindustan Organics and Chemicals Limited (Rs. 250.00 crore).	273.31	-	273.31
(ग) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. के पुनःस्थापन के लिए (56.38 करोड़ रुपए) और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए (10.00 करोड़ रुपए) ब्याज रहित ऋण प्रदान करने हेतु।	(c) Providing interest free loan (i) for rehabilitation of Hindustan Antibiotics Limited (Rs. 56.38 crore) and (ii) for working capital requirement of Hindustan Antibiotics Limited (Rs. 10.00 crore).	-	66.38	66.38
8 उर्वरक विभाग	**8 Department of Fertilisers**			
आयतित यूरिया (1500.00 करोड़ रुपए) और आयातित विनियंत्रित उर्वरकों (600.00 करोड़ रुपए) पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए।	For providing subsidy on imported urea (Rs.1500.00 crore) and on imported decontrolled fertilisers (Rs. 600.00 crore).	-	1500.00	1500.00
संस्कृति मंत्रालय	**MINISTRY OF CULTURE**			
19 संस्कृति मंत्रालय	**19 Ministry of Culture**			
(क) प्राचीन संस्कृत नाट्य रूपों-कुट्टीयट्टम, वेदोच्चारण और रामलीला जिन्हें यूनेस्को द्वारा "मानवता की मौखिक एवं अमूर्त्त विरासत" घोषित किया गया है, के संवर्धन में लगी संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को सहायता अनुदान।	(a) Grants-in-aid to institutions/voluntary organisations and individuals engaged in promotion of Ancient Sanskrit Theatre Forms - Kuttiyattam, Vedic chanting and Ramlila which have been declared "Oral and Intangible Heritage of Humanity" by the UNESCO.	5.00	-	5.00
(ख) (i) राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली (5.00 करोड़ रुपए) और (ii) कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इंदौर को सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपए)।	(b) Grants-in-aid to (i) National Gandhi Museum, New Delhi (Rs. 5.00 crore) and (ii) Kasturba Gandhi National Memorial Trust, Indore (Rs. 5.00 crore).	-	10.00	10.00
(ग) प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की 150वीं वर्षगांठ के समारोह के भाग के रूप में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लिए निधियां प्रदान करने के लिए।	(c) For providing funds for various programmes and activities as a part of celebration of 150th Anniversary of the First War of Independence, 1857.	-	10.00	10.00
(घ) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (इड्सा) को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य संबंधी लाल बहादुर शास्त्री चेयर के संस्थापन हेतु सहायता अनुदान।	(d) Grants-in-aid to Institute of Defence Studies and Analysis (IDSA) for instituting Lal Bahadur Shashtri Chair on research work in the area of National Security.	-	0.04	0.04
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**			
29 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**29 Ministry of Environment and Forests**			
फास्ट ट्रैक कोर्ट, सोलन के पंचाट के तहत भू-मालिकों को भुगतान करने के लिए।	For making payment to landowners under an award of the Fast Track Court, Solan.	0.60	-	0.60
विदेश मंत्रालय	**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**			
30 विदेश मंत्रालय	**30 Ministry of External Affairs**			
(i) नेपाल सरकार को आर्थिक सहायता (100 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रमंडल की विशेष स्वैच्छिक निधि में अंशदान (1.03 करोड़ रुपए) के लिए।	For (i) economic assistance to the Government of Nepal (Rs. 100.00 crore) and (ii) contribution to the Commonwealth's Special Voluntary Fund (Rs. 1.03 crore).	-	101.03	101.03

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**			
33 वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	**33 Payments to Financial Institutions**			
(क) किसानों को अल्पावधि ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing interest subvention on short term credit to farmers.	-	100.00	100.00
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (आईडीए) को बहुपक्षीय ऋण राहत उपक्रम के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards contribution to International Development Association (IDA) for Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI).	-	2.87	2.87
35 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	**35 Transfers to State and Union Territory Governments**			
(i) सामान्य केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए (1000.00 करोड़ रुपए), (ii) विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए (500.00 करोड़ रुपए) और (iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत राज्यों को सहायता अनुदान जारी करने के लिए (3000.00 करोड़ रुपए)।	For (i) providing Normal Central Assistance (Rs. 1000.00 crore), (ii) providing Special Central Assistance (Rs. 500.00 crore) and (iii) releasing grants-in-aid to States under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Rs. 3000.00 crore).	4500.00	-	4500.00
41 राजस्व विभाग	**41 Department of Revenue**			
(क) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1999-2006 की अवधि के लिए क्रय कर की बकाया राशि के भुगतान के लिए।	(a) Towards payment of purchase tax arrears by Central Bureau of Narcotics to the Government of Uttar Pradesh pertaining to the period 1999-2006 in compliance with Supreme Court Judgement.	-	23.00	23.00
(ख) वेट लागू होने के कारण राज्य सरकारों को राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु।	(b) For compensation to State Governments for revenue loss due to introduction of VAT.	-	1000.00	1000.00
गृह मंत्रालय	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**			
53 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	**53 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs**			
(क) जम्मू और कश्मीर में भूकम्प पीड़ितों को राहत की मदें, आश्रय आदि प्रदान करने के लिए।	(a) For providing relief items, shelters, etc. to people affected by earthquake in Jammu and Kashmir.	-	15.70	15.70
(ख) राज्य सरकारों को (i) जम्मू और कश्मीर में भूकम्प पीड़ितों को राहत की मदें, आश्रय आदि के लिए (99.05 करोड़ रुपए) और (ii) 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजे के लिए (222.35 करोड़ रुपए) सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing grants-in-aid to State Governments (i) for relief items, shelters, etc. to people affected by earthquake in Jammu and Kashmir (Rs. 99.05 crore) and (ii) for compensation to victims of 1984 riots (Rs. 222.35 crore).	-	321.40	321.40
54 संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	**54 Transfers to Union Territory Governments**			
1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए।	For providing compensation to victims of 1984 riots.	-	22.12	22.12
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**			
78 ग्रामीण विकास विभाग	**78 Department of Rural Development**			
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संचालन हेतु यूएनडीपी सहायता हस्तान्तरित करने हेतु।	For pass-through of UNDP assistance for operationalisation of National Rural Employment Guarantee Act.	5.00	-	5.00
कपड़ा मंत्रालय	**MINISTRY OF TEXTILES**			
91 कपड़ा मंत्रालय	**91 Ministry of Textiles**			
(क) "एकीकृत हथकरघा समूह विकास स्कीम" के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement under "Integrated Handloom Cluster Development Scheme".	5.00	-	5.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) "प्रौद्योगिकी उन्नयन फंड स्कीम" के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement under the "Technology Upgradation Fund Scheme".	300.00	-	300.00
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**			
100 लोक निर्माण कार्य	**100 Public Works**			
(क) जम्मू और कश्मीर में भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में समुदाय भवनों के निर्माण के लिए।	(a) For construction of Community Halls in earthquake affected areas in Jammu and Kashmir.	-	21.86	21.86
(ख) (i) श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आय कर विभाग के कार्यालय भवन के लिए भूमि की खरीद (13.50 करोड़ रुपए), और (ii) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नई दिल्ली और मुम्बई कार्यालय के लिए नए भवन का निर्माण (10.00 करोड़ रुपए)।	(b) For (i) purchase of land for Income Tax Department's office building at Srinagar, Jammu & Kashmir (Rs. 13.50 crore) and (ii) construction of new building for the Office of the Comptroller and Auditor General of India at New Delhi and Mumbai (Rs. 10.00 crore).	-	23.50	23.50
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	**MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS**			
105 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	**105 Ministry of Minority Affairs**			
(क) (i) मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन के लिए आधारभूत निधि (100.00 करोड़ रुपए) और (ii) मीडिया प्रचार (1.00 करोड़ रुपए) के लिए।	(a) For (i) Corpus Fund to Maulana Azad Education Foundation (Rs. 100.00 crore) and (ii) Media Campaign (Rs. 1.00 crore).	101.00	-	101.00
(ख) राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting establishment related expenditure of National Commission for Religious and Linguistic Minorities.	-	1.27	1.27
(ग) मंत्रालय के सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय को पूर्ति हेतु।	(c) For meeting establishment related expenditure of the Secretariat of the Ministry.	-	1.87	1.87
(घ) राज्य सरकारों (9.00 करोड़ रुपए) और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों (1.00 करोड़ रुपए) को योग्यता एवं साधन आधारित छात्रवृत्तियों के लिए सहायता अनुदान जारी करना।	(d) For releasing grants-in-aid to State Governments (Rs. 9.00 crore) and to Union Territory Governments (Rs. 1.00 crore) towards Merit cum Means based scholarships.	10.00	-	10.00
कुल नकद व्यय	**Total Cash Outgo**	**5282.91**	**3385.04**	**8667.95**

3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 39,200.66 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग के लिए प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तदुनुरूपी बचतों द्वारा कर ली गई है। मुख्य मदें निम्न प्रकार हैः—

3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs.39,200.66 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The main items are as follows:

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
तकनीकी पूरक अनुदानों की मांगें	**Technical Supplementary Demands for Grants**			
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**			
1 कृषि और सहकारिता विभाग	**1 Department of Agriculture and Cooperation**			
केंद्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण बंगलौर और उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय के अनुपालन में ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु।	For payment of arrears of wages under the National Project on Promotion of Organic Farming scheme in compliance of the Judgement of Central Government Industrial Tribunal, Bangalore and High Court, Jabalpur.	0.01	-	0.01

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**			
5 परमाणु ऊर्जा	**5 Atomic Energy**			
परमाणु ऊर्जा टुरामडी खान और मिल परियोजना के बंद होने के कारण यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई इक्विटी को बट्टे खाते में डालने के लिए लेखा समायोजन करने हेतु।	For carrying out accounting adjustments towards writing off of equity given to Uranium Corporation of India Limited on account of closure of Turamdih Mine and Mill Project.	-	9.67	9.67
6 नाभिकीय विद्युत योजनाएं	**6 Nuclear Power Schemes**			
भूतपूर्व नाभिकीय विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम को निवेश (966.86 करोड़ रुपए) और ऋण (346.47 करोड़ रुपए) के रूप में अन्तरण करने के संबंध में लेखा समायोजन करने हेतु।	To carry out accounting adjustments relating to transfer of assets of erstwhile Nuclear Power Board to Nuclear Power Corporation of India Limited as Investment (Rs. 966.86 crore) and Loan (Rs. 346.47 crore).	1313.33	-	1313.33
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS**			
8 उर्वरक विभाग	**8 Department of Fertilisers**			
(क) आयातित यूरिया (1500.00 करोड़ रुपए) और आयातित विनियंत्रित उर्वरकों (600.00 करोड़ रुपए) पर सब्सिडी प्रदान करने हेतु।	(a) For providing subsidy on imported urea (Rs. 1500.00 crore) and on imported decontrolled fertilisers (Rs. 600.00 crore).	-	600.00	600.00
(ख) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) संबंधी ऋण एवं बकाया ऋणों पर ब्याज को बट्टे खाते में डालने हेतु।	(b) For writing off of Loan and Interest on outstanding loans in respect of Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT).	-	670.37	670.37
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**			
17 उपभोक्ता मामले विभाग	**17 Department of Consumer Affairs**			
(क) "माप-तौल आधारभूत ढाँचे का सशक्तिकरण" स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों (5.18 करोड़ रुपए) एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों (0.60 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(a) For providing grants-in-aid to State Governments (Rs. 5.18 crore) and Union Territories Governments (Rs. 0.60 crore) for implementation of the scheme "Strengthening of Weights and Measures Infrastructure".	5.78	-	5.78
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान के तहत निधियों के संवर्धन हेतु।	(b) For augmentation of funds under the lump-sum provision for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	0.99	-	0.99
18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	**18 Department of Food and Public Distribution**			
(क) वर्ष 1977-78 के दौरान मूँगफली के बफर स्टॉक प्रचालन और वर्ष 1978-80 के दौरान सोयाबीन की मूल्य समर्थन स्कीम के प्रचालन के कारण हुई हानि की राशि पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) इंडिया लि. को ब्याज के भुगतान हेतु।	(a) For payment of interest to National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) on the amount of losses incurred on account of groundnut buffer stocking operation during 1977-78 and Price Support Scheme operation of Soyabean during 1978-80.	-	0.56	0.56
(ख) जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकार को भण्डारण गोदामों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing grants-in-aid to the State Government of Jammu and Kashmir for construction of storage godowns.	1.12	-	1.12
रक्षा मंत्रालय	**MINISTRY OF DEFENCE**			
27 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	**27 Capital Outlay on Defence Services**			
न्यायालय के फैसलों से हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	-	15.00	15.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**			
33 वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	**33 Payments to Financial Institutions**			
(क) इंडियन बैंक की संचित हानि (3830.14 करोड़ रुपए) के बट्टे-खाते में डालने और यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया की दि. 31/3/06 को उनकी इक्विटी पूँजी से संचित हानि (278.44 करोड़ रुपए) को घटाने हेतु।	(a) For writing off of accumulated losses of Indian Bank (Rs. 3830.14 crore) and netting of accumulated losses of United Bank of India (Rs. 278.44 crore) against their equity capital as on 31.3.2006.	-	4108.58	4108.58
(ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इसकी भारतीय रुपए में धारिता के मूल्य के अनुरक्षण (एमओवी) के संबंध में अतिरिक्त निवेश हेतु।	(b) For additional investment in International Monetary Fund towards Maintenance of Value (MOV) of its holding of Indian rupees.	-	39.57	39.57
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**			
45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**45 Ministry of Food Processing Industries**			
कुंडली, हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति और प्रबन्ध संस्थान की स्थापना हेतु।	For setting up of National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management at Kundli, Haryana.	16.50	-	16.50
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**			
46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	**46 Department of Health and Family Welfare**			
राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय (0.50 करोड़ रुपए) और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (4.00 करोड़ रुपए) में पूँजीगत निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on capital works in National Medical Library (Rs. 0.50 crore) and All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata (Rs. 4.00 crore).	4.50	-	4.50
भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय	**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES**			
48 भारी उद्योग विभाग	**48 Department of Heavy Industry**			
(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) को स्थापना संबंधी व्यय के लिए सहायता अनुदान हेतु।	(a) For grants-in-aid to National Industrial Development Corporation Ltd (NIDC) for establishment related expenditure.	-	0.04	0.04
(ख) (i) भारी इंजीनियरी निगम लि. संबंधी ऋण और ब्याज में छूट (1101.03 करोड़ रुपए) (ii) दि. 31/3/05 के अनुसार भारतीय सीमेन्ट निगम लिमिटेड संबंधी ऋण पर ब्याज में छूट (880.63 करोड़ रुपए) और गारंटी शुल्क सब्सिडी (10.60 करोड़ रुपए) संबंधी लेखा समायोजनों को पूरा करने हेतु।	(b) For carrying out accounting adjustments relating to (i) waiver of loan and interest in respect of Heavy Engineering Corporation Ltd (Rs. 1101.03 crore) and (ii) waiver of interest on loan (Rs. 880.63 crore) and Guarantee fee subsidy (Rs. 10.60 crore) in respect of Cement Corporation of India Limited as on 31.3.2005.	-	1992.26	1992.26
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय	**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**			
69 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय	**69 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions**			
केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण पर व्यय हेतु।	For expenditure on construction of office building for Central Information Commission.	1.00	-	1.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**			
70 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**70 Ministry of Petroleum and Natural Gas**			
घरेलू एलपीजी और पीडीएस किरोसीन के संबंध में 2006-07 में अनुमानित वसूलियों के प्रति तेल विपणन कम्पनियों के विशेष प्रतिभूतियां जारी करने पर क्षतिपूर्ति देने का लिए।	For compensation through issue of special securities to Oil Marketing Companies towards estimated under recoveries in 2006-07 on account of domestic LPG & PDS Kerosene.	-	14150.00	14150.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**			
78 ग्रामीण विकास मंत्रालय	**78 Department of Rural Development**			
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न जारी करने के संबंध में दि. 30.4.2005 तक बकाया देय राशि के निपटान हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को विशेष प्रतिभूतियां जारी करने हेतु।	For issue of special securities to Food Corporation of India (FCI) for settlement of outstanding dues on account of release of food grains under Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) and National Food for Work Programme (NFFWP) till 30.4.2005.	16200.00	-	16200.00
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**			
99 शहरी विकास मंत्रालय	**99 Department of Urban Development**			
जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण आयोग के कार्यान्वयन हेतु।	For implementation of Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission.	30.00	-	30.00
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (पूर्व - शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)	**MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (PREVIOUSLY-MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION)**			
102 आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (पूर्व - शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)	**102 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation) (Previously-Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation)**			
जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण आयोग के कार्यान्वयन हेतु।	For implementation of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission.	14.00	-	14.00
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	**MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS**			
105 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	**105 Ministry of Minority Affairs**			
(क) (i) गैर-सरकारी संस्थाओं को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं रख रखाव के लिए सहायता अनुदान (0.96 करोड़ रुपए) हेतु, और (ii) कोचिंग एवं संबद्व स्कीम (0.02 करोड़ रुपए) हेतु।	(a) For (i) grants-in-aid to Non-Governmental Institutions to operate and maintain Pre-Examination Training Centre (Rs. 0.96 crore), and (ii) Coaching and Allied scheme (Rs. 0.02 crore).	0.98	-	0.98
(ख) वक्फ परिषदों को सहायता-अनुदान हेतु।	(b) For grants-in-aid to WAKF Councils.	-	2.06	2.06
(ग) (i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (3.67 करोड़ रुपए), (ii) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (1.04 करोड़ रुपए) और (iii) राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग (0.72 करोड़ रुपए) की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting establishment related expenditure of (i) National Commission for Minorities (Rs. 3.67 crore), (ii) Special Officer for Linguistic Minorities (Rs. 1.04 crore), and (iii) National Commission for Religious and Linguistic Minorities (Rs. 0.72 crore).	-	5.43	5.43
(घ) कोचिंग एवं संबद्व स्कीम के तहत राज्य सरकारों (0.60 करोड़ रुपए) और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों (0.02 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान हेतु।	(d) For grants-in-aid to State Governments (Rs. 0.60 crore) and to Union Territory Governments (Rs. 0.02 crore) under Coaching and Allied Scheme.	0.62	-	0.62
(ड) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (16.47 करोड़ रुपए) को इक्विटी अंशदान और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम (1.82 करोड़ रुपए) को इक्विटी अंशदान हेतु।	(e) For equity contribution to National Minorities Finance and Development Corporation (Rs. 16.47 crore) and for undertaking activities in North Eastern Region and Sikkim (Rs. 1.82 crore)	18.29	-	18.29
जोड़ तकनीकी	**Total Technical**	**17607.12**	**21593.54**	**39200.66**

4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में 1 लाख रुपए प्रत्येक की पूरक मांगों का भी लिया जाना प्रस्तावित है, जिसके सामने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति राजस्व अथवा पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के पुनर्विनियोजन से, जैसा संबद्ध अनुदान के मामला हो, की जाएगी।

4. Supplementary Grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सांकेतिक पूरक अनुदानों की मांगें	**Token Supplementary Demands for Grants**			
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**			
1 कृषि और सहकारिता विभाग	**1 Department of Agriculture and Cooperation**			
(क) (i) "अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकन प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन की भविष्यवाणी करने" की स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों (4.20 करोड़ रुपए), (ii) "भारत में महामारी प्रबंधन दृष्टिकोण के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण की स्कीम" के अंतर्गत स्वायत्त निकायों/गैर सरकारी संगठनों (0.50 करोड़ रुपए) और (iii) पूर्वोतर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में व्यय वहन करने के लिए "बागवानी के समेकित विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन" स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों (73.00 करोड़ रुपए) को सहायता-अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।	(a) for providing grants-in-aid to (i) the implementing agencies under the scheme "Forecasting Agricultural Output using Space Agro Metrology and Land based Observation" (Rs. 4.20 crore) , (ii) autonomous bodies/NGOs under the scheme "Strengthening and Modernisation of Pest Management Approach in India" (Rs. 0.50 crore) and (iii) the implementing agencies under the scheme "Technology Mission on Integrated Development of Horticulture" for incurring expenditure in North-Eastern States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttranchal (Rs. 73.00 crore).	77.70	-	77.70
(ख) "कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के सम्पूरण और अनुपूरण प्रयासों", की स्कीम के कार्यान्वयन हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकारों और सिक्किम को ऋण उपलब्ध कराने के लिए।	(b) For providing loans to State Governments in the North Eastern Region and Sikkim for implementation of the scheme "Supplementation and Complementation of States efforts through Work Plan".	34.20	-	34.20
(ग) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के किसानों को निवेश ऋण प्रयोजनों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि विकास बैंकों को ऋण देना।	(c) For giving loans to Land Development Banks in the North Eastern States and Sikkim for the purpose of providing loans to farmers for investment credit purposes.	5.00	-	5.00
परमाणु ऊर्जा विभाग	**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**			
5 परमाणु ऊर्जा	**5 Atomic Energy**			
यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को किलेंग पिंडेंगसोहिंग प्रोजेक्ट, मावथाबाह का कार्यान्वयन सुसाध्य बनाने के अवसंरचना विकास कार्य हेतु सहायता-अनुदान प्रदान करने के लिए।	For grants-in-aid to Uranium Corporation of India Limited for infrastructure development work to facilitate implementation of Kylleng Pyndengsohoing Project, Mawthabah.	10.00	-	10.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**			
11 वाणिज्य विभाग	**11 Department of Commerce**			
पिछले वर्ष घोषित कॉफी राहत पैकेज के अंतर्गत दि. 31.5.2006 की विस्तारित अंतिम तारीख के दौरान ब्याज संघटक के अपने हिस्से की अदायगी कर चुके उन कॉफी उत्पादकों के संबंध में विशेष कॉफी आवधिक ऋण पर एक-तिहाई ब्याज भार की पूर्ति करने के लिए कॉफी बोर्ड को भुगतान हेतु।	For payment to Coffee Board under the Coffee Relief Package announced last year, for meeting one-third interest burden on special Coffee Term Loan in respect of those coffee growers who have paid their share of the interest component during the extended deadline upto 31.5.2006.	-	30.00	30.00
संस्कृति मंत्रालय	**MINISTRY OF CULTURE**			
19 संस्कृति मंत्रालय	**19 Ministry of Culture**			
राज्यों के केन्द्रीय पुस्तकालयों अर्थात् (i) सेन्ट्रल लाईब्रेरी, मुंबई (0.40 करोड़ रुपए) और (ii) कोनेमेरा पब्लिक लाईब्रेरी, चेन्नई (0.60 करोड़ रुपए) को अनुदान।	Grants to State Central Libraries i.e. (i) Central Library, Mumbai (Rs. 0.40 crore) and (ii) Connemera Public Library, Chennai (Rs. 0.60 crore)	1.00	-	1.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**			
31 आर्थिक कार्य विभाग	**31 Department of Economic Affairs**			
(क) सरकारी-निजी-भागीदारी की तैयारी और मूल्यांकन और व्यवहार्यता अंतर निधिपोषण के प्रचालनों में सुधार के लिए विश्व बैंक अनुदान के अंतर्गत विदेशी सहायता प्राप्त संघटक के हस्तान्तरण हेतु।	(a) For pass through of externally aided component under World Bank Grant to improve preparation and appraisal of Public Private Partnership (PPP) and operations of Viability Gap funding.	-	0.51	0.51
(ख) बजट प्रेस हेतु एक नई बहुरंगी वेब आफसेट प्रिंटिंग मशीन के क्रय के संबंध में व्यय पूरा करने के लिए।	(b) To meet expenditure in connection with purchase of one new Multicolour Web offset printing machine for Budget Press.	-	8.00	8.00
33 वित्तीय संस्थाओं को अदायगी	**33 Payments to Financial Institutions**			
(क) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लाभार्थ सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement for Universal Health Insurance Scheme for the benefit of Below Poverty Line (BPL) families.	-	12.00	12.00
(ख) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को अतिरिक्त संपूरक अंशदान उपलब्ध कराने के लिए।	(b) For providing additional complementary contribution to International Fund for Agricultural Development.	-	4.60	4.60
(ग) अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि हेतु अंशदान के संबंध में व्यय पूरा करने के लिए।	(c) To meet expenditure in connection with contribution for Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF).	-	0.90	0.90
(घ) अफ्रीकी विकास निधि को बहुपक्षीय ऋण राहत पहल के भुगतान करने कि लिए।	(d) For making payment to Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) of the African Development Fund (ADF).	-	1.37	1.37
44 विनिवेश विभाग	**44 Department of Disinvestment**			
राष्ट्रीय विनिवेश निधि में तीन चयनित निधि प्रबंधकों के प्राप्त होने वाले अनुमानों हेतु निधियों के आबंटन के लिए (i) जीवन बीमा निगम म्यूचुअल फंड (419.00 करोड़ रुपए) (ii) भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड (1056.00 करोड़ रुपए), और (iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड (2365.00 करोड़ रुपए)।	For allocation of funds estimated to be received in National Investment Fund to the three selected fund managers (i) Life Insurance Corporation Mutual Fund (Rs. 419.00 crore), (ii) State Bank of India Mutual Fund (Rs. 1056.00 crore), and (iii) Unit Trust of India Mutual Fund (Rs. 2365.00 crore).	-	3840.00	3840.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**			
45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**45 Ministry of Food Processing Industries**			
धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर का राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में विकास करने हेतु।	For developing the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur as a National Level Institute.	1.00	-	1.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**			
46 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	**46 Department of Health and Family Welfare**			
(i) ''मेडिकल कालेजों में फिजिकल मेडिसिन और पुनर्वास विभाग में सुविधाओं का उन्नयन योजना'' के अंतर्गत चार सरकारी मेडिकल कालेजों यथा- जवाहरलाल स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी (0.10 करोड़ रुपए), लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी हास्पीटल, नई दिल्ली (0.10 करोड़ रुपए), राजकीय मेडिकल कालेज, चंडीगढ़ (0.10 करोड़ रुपए) और गुरु तेगबहादुर हॉस्पीटल, दिल्ली (0.10 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय रोहा और अंधता नियंत्रण	For providing grants to (i) four Government medical colleges viz., Jawaharlal Institute of Post-Graduation Medical Education and Research, Pondicherry (Rs. 0.10 crore), Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Rs. 0.10 crore), Government Medical College, Chandigarh (Rs. 0.10 crore) and Guru Tegh Bahadur Hospital, Delhi (Rs. 0.10 crore) under the scheme "Upgradation of the			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सोसाइटियों को आपथेलामिक उपस्करों की खरीद हेतु (5.00 करोड़ रुपए), और (iii) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टी ड्रग कुष्ठ जिला सोसाइटियों को (7.02 करोड़ रुपए) का अनुदान प्रदान करने हेतु।	facilities in the Department of Physical Medicine and Rehabilitation in the Medical Colleges", (ii) State Societies under National Trachoma and Blindness Control Programme for procurement of Opthalmic equipment (Rs. 5.00 crore) and (iii) Multi Drug Leprosy District Societies under National Leprosy Control Programme (Rs. 7.02 crore).	12.42	-	12.42
47 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा युनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	**47 Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)**			
(i) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में गहन, स्वतंत्र मूल्यांकन शुरु करने (0.55 करोड़ रुपए) और (ii) ''आयुष की स्वीकार्यता और उपयोग पर सर्वेक्षण'' की योजना के अन्तर्गत गहन बाजार अनुसंधान के लिए, अतिरिक्त व्यय (0.35 करोड़ रुपए)।	For additional expenditure (i) to undertake comprehensive, independent evaluation of Centrally Sponsored Schemes (Rs. 0.55 crore) and (ii) for comprehensive market research under the scheme "Survey on Uses and Acceptability of AYUSH" (Rs. 0.35 crore).	0.90	-	0.90
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES**			
48 भारी उद्योग विभाग	**48 Department of Heavy Industry**			
(क) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के संबंध में ऋण को 0.01% शोधनीय अधिमान शेयर पूंजी में बदलने के संबंध में लेखा समायोजन करने हेतु।	(a) For carrying out accounting adjustments relating to conversion of loan into 0.01% redeemable preference share capital in respect of Cement Corporation of India Limited.	355.43	-	355.43
(ख) (i) एच एम टी लि. (3.70 करोड़ रुपए) और (ii) प्राग टूल्स लि. (1.50 करोड़ रुपए) के संबंध में ऋण को इक्विटी में बदलने हेतु लेखा समायोजन के लिए।	(b) For carrying out accounting adjustments relating to conversion of loan into equity in respect of (i) HMT Bearings Ltd (Rs. 3.70 crore) and (ii) Praga Tools Ltd (Rs. 1.50 crore).	5.20	-	5.20
गृह मंत्रालय	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**			
52 पुलिस	**52 Police**			
(i) ''पुलिस बलों का आधुनिकीकरण'' योजना के अन्तर्गत संघ राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना।	(i) For providing assistance to Union Territory Governments under the scheme "Modernisation of Police Force".	-	176.80	176.80
(ii) अंडमान और निकोबार द्वीपों (1.00 करोड़ रुपए), लक्षद्वीप (1.17 करोड़ रुपए), पांडिचेरी (0.35 करोड़ रुपए) और दमन और दीव (0.78 करोड़ रुपए) के संघ क्षेत्रों की समुद्री सीमा में सीमा पैट्रोलिंग और निगरानी के ढांचे की सुदृढ़ता हेतु।	(ii) For strengthening infrastructure for coastal patrolling and surveillance in the coastal Union Territories of Andaman and Nicobar Islands (Rs. 1.00 crore), Lakshadweep (Rs. 1.17 crore), Pondicherry (Rs. 0.35 crore) and Daman & Diu (Rs. 0.78 crore).	-	3.30	3.30
53 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	**53 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs**			
मेरठ में ''ब्राड्स इंडिया कन्जूमर्स शो'' के संबंध में अग्नि दुर्घटना के पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु।	For providing relief to victims of fire incidence related to the "Brands India Consumers Show" in Meerut.	-	0.87	0.87
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**			
56 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग	**56 Department of Secondary Education and Higher Education**			
(क) शिक्षा - हेल्पलाइन में ''वन स्टाप एज्यूकेशन पोर्टल'' के विकास के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान प्रदान करना।	(a) For grants-in-aid to the Central Board of Secondary Education to develop a "One Stop Education Portal" an Education-Helpline.	4.95	-	4.95

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non Plan**	जोड़ **Total**
(ख) ''प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम'' और "वैब आधारित शिक्षण एंव दूरस्थ शिक्षा को सहायता प्रदान करने की'' योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशाला के संबंध में स्थापना व्ययों के लिए सहायता अनुदान।	(b) For grants-in-aid towards establishment related expenditure under "National Programme for Technology Enhanced Learning" and for National and Regional Training Workshop under the scheme "Support to Distance Education & Web based Learning".	5.97	-	5.97
विधि और न्याय मंत्रालय	**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**			
61 विधि और न्याय	**61 Law and Justice**			
कन्नूर विश्वविद्यालय को विधि पुस्तकों की खरीद (50,000 हजार रुपए) हेतु सहयता अनुदान प्रदान करना।	For providing grants-in-aid to Kannur University for purchase of law books (Rs. 50,000/-).	-	0.01	0.01
गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्रालय	**MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES**			
64 गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	**64 Ministry of Non-Conventional Energy Sources**			
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत ''बायोमास सतत् विकास के लिए'' व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure under the Externally Aided Project "Biomass for Sustainable Development".	2.00	-	2.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**			
70 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**70 Ministry of Petroleum and Natural Gas**			
''मिलावट रोधी सेल'' द्वारा किराए पर ली गई बिल्डिंग के व्यय की पूर्ति हेतु पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन के व्यय के लिए (0.57 करोड़ रुपए)।	For meeting the expenditure on rental payments to Petroluem Conservation Research Association [PCRA] (Rs. 0.57 crore) for buildings hired by 'Anti Adulteration Cell'.	-	0.57	0.57
नौ वहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**			
84 नौ वहन विभाग	**84 Department of Shipping**			
(i) लक्षद्वीप पोत निर्माण स्थल पर नौचालन सुविधाओं के निर्माण के लिए।	(i) For construction of Navigation Facilities at Lakshadweep Harbour Works.	10.56	-	10.56
(ii) हिन्दुस्तान शिपायार्ड लि. को ऋण उपलब्ध कराने के लिए लक्षद्वीप संघ राज्य प्रशासन के लिए 700 पी एक्स वेसल के निर्माण के लिए।	(ii) For providing loan to Hindustan Shipyard Ltd. for construction of a 700 PX vessel for the Union Territory of Lakshadweep Administration.	-	34.07	34.07
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	**85 Department of Road Transport and Highways**			
''विशेष त्वरित सड़क विकास परियोजना'' के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के सुधार/उन्नयन हेतु।	For improvement/upgradation of roads in the North Eastern Region under the "Special Accelerated Roads Development Project".	550.00	-	550.00
कपड़ा मंत्रालय	**MINISTRY OF TEXTILES**			
91 कपड़ा मंत्रालय	**91 Ministry of Textiles**			
(i) हथकरघा क्षेत्र के व्यय की पूर्ति हेतु (6.00 करोड़ रुपए), पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/स्कीमों हेतु एक मुश्त किए गए प्रावधान से हस्त शिल्प (14.60 करोड़ रुपए) और रेशम कीट पालन (34.95 करोड़ रुपए) के लिए।	(i) For meeting expenditure on Handloom Sector (Rs. 6.00 crore), Handicraft Sector (Rs. 14.60 crore) and Sericulture Sector (Rs. 34.95 crore) out of the lumpsum provision for the Projects/ Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	55.55	-	55.55

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना/स्कीमों के लिए किए गए एक मुश्त प्रावधान से वस्त्र उद्योग (20.00 करोड़ रुपए और जूट उद्योग (5.00 करोड़ रुपए) के व्यय की पूर्ति हेतु।	(ii) For meeting expenditure on Textiles Sector (Rs.20.00 crore) and Jute Sector (Rs. 5.00 crore) out of the lumpsum provision for the Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	25.00	-	25.00
गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)**			
94 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**94 Andaman and Nicobar Islands**			
सुनामी राहत कैंपों जिनकी अवधि दिनांक 31.3.2006 के आगे बढ़ा दी गई, में राशन और अन्य आवश्यक सहायता के व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on ration and other logistic support in the Tsunami Relief camps, which have been extended beyond 31.3.2006.	-	15.00	15.00
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**			
99 शहरी विकास विभाग	**99 Department of Urban Development**			
आयकर विभाग के 165 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु लुधियाना विकास न्यास से भूमि खरीदने हेतु।	For purchase of land from Ludhiana Improvement Trust for construction of 165 residential quarters for the Income Tax Department.	-	7.26	7.26
जल संसाधन मंत्रालय	**MINISTRY OF WATER RESOURCES**			
103 जल संसाधन मंत्रालय	**103 Ministry of Water Resources**			
राज्यों में हाइड्रोलोजी परियोजना शुरु करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को (1.07 करोड़ रुपए) और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को (0.12 करोड़ रुपए) सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing grants-in-aid to Central Pollution Control Board (Rs. 1.07 crore) and Bhakra Beas Management Board (Rs. 0.12 crore) for undertaking Hydrology Project in States.	1.19	-	1.19
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	**MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS**			
104 युवा कार्य और खेल मंत्रालय	**104 Ministry of Youth Affairs and Sports**			
(i) ''अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान'' की योजना के अन्तर्गत ''2006 को चीन-भारत मैत्री वर्ष मनाने के रुप में'' चीन को प्रतिनिधिमंडल भेजने और चीनी प्रतिनिधिमंडल के भारत आने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(i) For meeting additional expenditure for sending a delegation to China and receiving a delegation from China for celebration of " 2006 as China-India Friendship Year" under the scheme "Exchange of delegations of Youth at International level".	2.80	-	2.80
(ii) पूर्वोत्तर राज्यों में ''स्पोर्ट संरचना के सृजन हेतु अनुदान'' योजना के अन्तर्गत अनुमोदित चल रही परियोजनाओं को पूर्ण करने और बकाया देयताओं का निपटारा करने हेतु।	(ii) For clearing the pending liabilities and for completion of on-going approved projects in the North Eastern States under the scheme "Grants for Creation of Sports Infrastructure".	15.00	-	15.00
कुल सांकेतिक	**Total Token**	**0.20**	**0.16**	**0.36**

5. कुल 149.10 करोड़ रुपए के 6 अग्रिमों को तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया था। इनकी पूर्ति निधि को अनुदानों की पूरक मांगों के स्वीकृत होने पर कर दी जाएगी।

5. Six advances aggregating Rs.149.10 crore were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.

कुल योग	*GRAND TOTAL*	*22890.23*	*24978.74*	*47868.97*
निवल नकद व्यय	**Net Cash Outgo**	**5282.91**	**3385.04**	**8667.95**
तकनीकी पूरक	**Technical Supplementary**	**17607.12**	**21593.54**	**39200.66**
सांकेतिक पूरक	**Token Supplementary**	**0.20**	**0.16**	**0.36**

विषय सूची
CONTENTS

(करोड़ रुपए *Rupees in crore)*

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय		**MINISTRY OF AGRICULTURE**					
1. कृषि और सहकारिता विभाग	*भारित*	1. Department of Agriculture and Cooperation	*Charged*	*0.01*	*0.01*	0.02	1-2
	स्वीकृत		Voted	0.01	0.01	0.02	
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	50.00	...	50.00	3
3. पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	110.00	...	110.00	4
परमाणु ऊर्जा विभाग		**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**					
5. परमाणु ऊर्जा	*भारित*	5. Atomic Energy	*Charged*	...	*3.00*	3.00	5-6
	स्वीकृत		Voted	9.68	...	9.68	
6. नाभिकीय विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	6. Nuclear Power Schemes	Voted	...	1313.33	1313.33	7
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS**					
7. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत	7. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	84.00	339.69	423.69	8
8. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	8. Department of Fertilisers	Voted	2770.37	...	2770.37	9
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**					
11. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	0.01	...	0.01	10
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**					
17. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	17. Department of Consumer Affairs	Voted	6.77	...	6.77	11
18. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	*भारित*	18. Department of Food and Public Distribution	*Charged*	*0.56*	...	0.56	12
	स्वीकृत		Voted	1.12	...	1.12	
संस्कृति मंत्रालय		**MINISTRY OF CULTURE**					
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	25.05	...	25.05	13
रक्षा मंत्रालय		**MINISTRY OF DEFENCE**					
27. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*भारित*	27. Capital Outlay on Defence Services	*Charged*	...	*15.00*	15.00	14
पर्यावरण और वन मंत्रालय		**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**					
29. पर्यावरण और वन मंत्रालय	*भारित*	29. Ministry of Environment and Forests	*Charged*	...	*0.60*	0.60	15
विदेश मंत्रालय		**MINISTERY OF EXTERNAL AFFAIRS**					
30. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of External Affairs	Voted	101.03	...	101.03	16
वित्त मंत्रालय		**MINISTRY OF FINANCE**					
31. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	31. Department of Economic Affairs	Voted	0.01	0.01	0.02	17
33. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	स्वीकृत	33. Payments to Financial Institutions	Voted	4208.61	42.45	4251.06	18-19

(करोड़ रुपए *Rupees in crore*)

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	स्वीकृत	35. Transfers to State and Union Territory Governments	Voted	4500.00	...	4500.00	20
41. राजस्व विभाग	*भारित*	41. Department of Revenue	*Charged*	*23.00*	...	23.00	21
	स्वीकृत		Voted	1000.00	...	1000.00	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**					
44. विनिवेश विभाग	स्वीकृत	44. Department of Disinvestment	Voted	...	0.01	0.01	22
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	16.50	16.51	23
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.01	4.50	4.51	24-25
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	47. Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.01	...	0.01	26
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES**					
48. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	48. Department of Heavy Industry	Voted	1992.30	0.02	1992.32	27-28
गृह मंत्रालय		**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**					
52. पुलिस	स्वीकृत	52. Police	Voted	0.01	0.01	0.02	29
53. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	53. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	337.11	...	337.11	30
54. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	54. Transfers to Union Territory Governments	Voted	22.12	...	22.12	31
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**					
56. माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	56. Department of Secondary Education and Higher Education	Voted	0.02	...	0.02	32
विधि और न्याय मंत्रालय		**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**					
61. विधि और न्याय	स्वीकृत	61. Law and Justice	Voted	0.01	...	0.01	33
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		**MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES**					
64. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Non-Conventional Energy Sources	Voted	0.01	...	0.01	34
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**					
69. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	...	1.00	1.00	35
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**					
70. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	14150.01	...	14150.01	36
ग्रामीण विकास मंत्रालय		**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**					
78. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	78. Department of Rural Development	Voted	16205.00	...	16205.00	37

(करोड़ रुपए Rupees in crore)

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		**MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**					
84. नौवहन विभाग	स्वीकृत	84. Department of Shipping	Voted	...	0.02	0.02	38
85. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	स्वीकृत	85. Department of Road Transport and Highways	Voted	...	0.01	0.01	39
कपड़ा मंत्रालय		**MINISTRY OF TEXTILES**					
91. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Textiles	Voted	305.02	...	305.02	40
गृह मंत्रालय		**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**					
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		**UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)**					
94. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	94. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.01	...	0.01	41
शहरी विकास मंत्रालय		**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**					
99. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	99. Department of Urban Development	Voted	30.00	0.01	30.01	42
100. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	100. Public Works	Voted	21.86	23.50	45.36	43
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (पूर्व - शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)		**MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (PREVIOUSLY - MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION)**					
102. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (पूर्व - शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)	स्वीकृत	102. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (previously - Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation)	Voted	14.00	...	14.00	44
जल संसाधन मंत्रालय		**MINISTRY OF WATER RESOURCES**					
103. जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	103. Ministry of Water Resources	Voted	0.01	...	0.01	45
युवा मामले और खेल मंत्रालय		**MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS**					
104. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Youth Afffairs and Sports	Voted	0.02	...	0.02	46
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		**MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS**					
105. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	105. Ministry of Minority Affairs	Voted	123.23	18.29	141.52	47-48
कुल जोड़		**GRAND TOTAL**		**46091.00**	**1777.97**	**47868.97**	
	भारित		*Charged*	*23.57*	*18.61*	42.18	
	स्वीकृत		Voted	46067.43	1759.36	47826.79	
अनुबंध		**ANNEXURE**					49

मांग संख्या DEMAND NO.1

कृषि और सहकारिता विभाग
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिए)।

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*...*	*178.88*	*178.88*
	स्वीकृत		Voted:	4969.43	70.85	5040.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*0.01*	*0.01*	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**4969.45**	**249.75**	**5219.20**
	भारित		*Charged:*	*0.01*	*178.89*	*178.90*
	स्वीकृत		Voted:	4969.44	70.86	5040.30

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2401- फसल कार्य	*भारित*	2401-Crop Husbandry	*Charged:*	*0.01* (कa)	...	*0.01*
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
6552- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	*भारित*	6552-Loans for North Eastern Areas	*Charged:*	*0.01* (गc)	...	*0.01*
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**0.04**	**...**	**0.04**
	भारित		*Charged:*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	0.02	...	0.02

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(क) केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, बंगलौर और उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय का अनुपालन करते हुए आर्गेनिक खेती संवर्धन योजना संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के तहत मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए (0.01 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से इस खाते में समतुल्य राशि अभ्यर्पित कर दी जाएगी इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) "अन्तरिक्ष एग्रो माप पद्धति और भू-आधारित अवलोकन का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन पूर्वानुमान योजना" के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को (4.20 करोड़ रुपए); (ii) "भारत में कीट प्रबंध नीति के सुहढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" नामक योजना के तहत स्वायत्त निकायों/गैर-सरकारी संगठनों को (0.50 करोड़ रुपए); और (iii) "समेकित बागवानी विकास सबंधी प्रौद्योगिकी मिशन"

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:-

(a) For payment of arrears of wages under the National Project on Promotion of Organic Farming Scheme (Rs.0.01 crore) in compliance of the Judgement of Central Government Industrial Tribunal, Bangalore and High Court, Jabalpur. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant on this account, a technical supplementary is sought;

(b) For providing grants-in-aid to the (i) implementing agencies under the scheme "Forecasting Agricultural Output using Space Agro Metrology and Land based Observation" (Rs.4.20 crore); (ii) autonomous bodies/ NGOs under the scheme "Strengthening and Modernization of Pest Management Approach in India" (Rs.0.50 crore); and (iii) implementing agencies under

नामक योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में व्यय हेतु (73 करोड़ रुपए)। जैसाकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) "कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की अनुपूर्ति और सम्पूर्ति" की योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने के लिए (34.20 करोड़ रुपए)। चूंकि इसकी पूर्ति अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान से की जाएगी, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा; और

(घ) सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के भूमि विकास बैंकों को निवेश क्रेडिट के प्रयोजनार्थ किसानों को ऋण प्रदान करने के प्रयोजन हेतु ऋण प्रदान करना (5.00 करोड़ रुपए)। चूंकि इसकी पूर्ति अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान से की जाएगी, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

the scheme "Technology Mission on Integrated Development of Horticulture" for incurring expenditure in North-Eastern States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttranchal (Rs.73 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought;

(c) For providing loans to State Governments in the North Eastern Region and Sikkim for implementation of the scheme "Supplementation and Complementation of States efforts through Work Plan" (Rs.34.20 crore). As this will be met from the lumpsum provision for North Eastern Region and Sikkim within the same section of the Grant, this will not entail any cash outgo; and

(d) For giving loans to Land Development Banks in the North Eastern States and Sikkim for the purpose of providing loans to farmers for investment credit purposes (Rs.5.00 crore). As this will be met from the lumpsum provision for North Eastern Region and Sikkim within the same section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिए)।
(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***			
	स्वीकृत	Voted:	2160.00	...	2160.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	50.00	...	50.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**			
	स्वीकृत	**Voted:**	**2210.00**	**...**	**2210.00**

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***			
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**			
2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा		2415-Agricultural Research and Education			
	स्वीकृत	Voted:	50.00	...	50.00

यह पूरक अनुदान सिविल निर्माण कार्यों, मानव संसाधन विकास, माडॅल पौधों/फार्मों और उपस्करों आदि पर होने वाले व्यय के लिए "कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और विकास" योजना के तहत अतिरिक्त व्यय (200 करोड़ रुपए) हेतु मांगा गया है। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत 150 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए 50.00 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure (Rs.200 crore) undner the scheme "Strengthening and Development of Agricultural Education" for incurring expenditure on Civil Works, Human Resource Development, Model Plants/Farms and equipment, etc. As savings of Rs.150 crore are available within the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of Rs.50.00 crore has been sought. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)।

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	1030.72	15.14	1045.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	110.00	...	110.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**1140.72**	**15.14**	**1155.86**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2403-पशुपालन	स्वीकृत	2403-Animal Husbandry	Voted:	26.62 (कa)	80.00 (खb)	106.62
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	3.38 (गc)	...	3.38
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**30.00**	**80.00**	**110.00**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(क) आत्महत्या संभावित जिलों में कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को आर्थिक राहत (126.62 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। दुधारू पशुओं के अधिक उत्पादन, बछड़ा पालन कार्यक्रम, मवेशी/भैंस पालन एवं घास एवं चारा आपूर्ति कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए किसानों को निधियां प्रदान की जाएगी। चूंकि, 100 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के इसी भाग में ही उपलब्ध हैं, अतः 26.62 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(ख) एवियन फ्लू के फैलने के पश्चात मुर्गीपालन उद्योग को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 31/03/2006 के अनुसार मुर्गीपालन से संबंधित किसानों को बकाया मूलधन पर एक वर्ष की अवधि के लिए 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान एक बार प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्ति हेतु। 80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जो भारत की आकस्मिकता निधि से इस प्रयोजन हेतु ली गई थी, की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

(ग) मात्स्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत जलकृषि के लिए मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से आत्महत्या संभावित जिलों के प्रभावित किसानों को राज्य सरकारों द्वारा निधि (7.00 करोड़ रुपए) जारी करने हेतु। चूंकि, 3.62 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के इसी भाग में ही उपलब्ध हैं अतः 3.38 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) For providing economic relief to the farming population in the suicide prone districts (Rs. 126.62 crore). The funds will be provided to the farmers for induction of high yielding milch animals, calf rearing programme, cattle/ buffalo breeding and Feed and Fodder Supply Programme. As savings of Rs. 100 crore are available within the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of Rs. 26.62 crore has been sought. This will entail net cash outgo.

(b) For meeting expenditure on one time interest subvention of 4% for a period of one year on the principal amount outstanding against poultry farmers as on 31.3.2006 to provide financial relief to the poultry industry following the outbreak of Avain Flu. An advance of Rs. 80 crore which was taken from the Contingency Fund of India for this purpose will be recouped to the Fund.

(c) For release of funds by the State Governments to the affected farmers in the suicide prone districts through Fish Farmers Development Agencies for taking aquaculture under Fisheries Programme (Rs. 7.00 crore). As savings of Rs. 3.62 crore are available within the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of Rs. 3.38 crore has been sought. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 5

परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिए)।

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*1.60*	*6.50*	*8.10*
	स्वीकृत		Voted:	2080.63	1838.48	3919.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:		9.68	3.00	12.68
	भारित		*Charged:*	*...*	*3.00*	*3.00*
	स्वीकृत		Voted:	9.68	...	9.68
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**2091.91**	**1847.98**	**3939.89**
	भारित		*Charged:*	*1.60*	*9.50*	*11.10*
	स्वीकृत		Voted:	2090.31	1838.48	3928.79

II.इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II.This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852- Industries	Voted:	0.01 (कa)	9.67 (खb)	9.68
जोड़-राजस्व भाग		**Total-Revenue Section**		**0.01**	**9.67**	**9.68**
	स्वीकृत		Voted:	0.01	9.67	9.68
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	*भारित*	5401- Capital Outlay on Atomic Energy Research	*Charged:*	*3.00 (गc)*	*...*	*3.00*
जोड़-पूंजी भाग		**Total-Capital Section**		**3.00**	**...**	**3.00**
	भारित		*Charged*	*3.00*	*...*	*3.00*
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**3.01**	**9.67**	**12.68**
	भारित		*Charged:*	*3.00*	*...*	*3.00*
	स्वीकृत		Voted:	0.01	9.67	9.68

टिप्पणीः *उक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates do not include the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure:*

पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योग पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4861- Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Voted:	...	(-) 9.67	(-) 9.67

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए मांगा गया हैः

(क) कीलेंग पिनडेंगसोहोइंग परियोजना (केपीएम) माथाबाह के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आधारभूत विकास कार्य हेतु भारतीय यूरेनियम निगम लि. को सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रूपए)। चूंकि

Supplementary grant/appropriation is sought for:

(a) Grants-in-aid to Uranium Corporation of India Limited for infrastructure development work to facilitate implementation of Kylleng Pyndengsohoing Project

अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) टुरमडिह खान और मिल परियोजना के बंद हो जाने के कारण भारतीय यूरेनियम निगम को दी गई इक्विटी को बट्टे खाते डालना। यह व्यय लेखा समायोजन की प्रकृति का है इसलिए इसमें कोई नकद व्यय शामिल नहीं है।

(ग) राजा रमण उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर के भू-अधिग्रहण मामलों पर न्यायालय के निर्णय के कारण देयताओं के निर्वहन के लिए भारत की आकस्मिता निधि से प्राप्त किए गए 3.00 करोड़ रूपए के अग्रिम की प्रतिपूर्ति। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(KPM), Mawthabah (Rs.10.00 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplemetary is sought.

(b) Write-off of equity given to Uranium Corporation of India Limited on account of closure of Turamdih Mine and Mill Project. The expenditure is in the nature of accounting adjustments, hence no cash outgo is involved.

(c) Recoupment of an advance of Rs.3.00 crore obtained from Contingency Fund of India to enable discharging the liabilities on account of court verdict on land acquisition cases of Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 6

नाभिकीय विद्युत योजनाएँ
NUCLEAR POWER SCHEMES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिए)।
(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	1182.59	2503.10	3685.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	...	1313.33	1313.33
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1182.59**	**3816.43**	**4999.02**
भारित		*Charged:*	...	...	...	
	स्वीकृत		Voted:	1182.59	3816.43	4999.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4801-Capital Outlay on Power Projects	Voted:	966.86 (कa)	...	966.86
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	स्वीकृत	6801-Loans for Power Projects	Voted:	346.47 (खb)	...	346.47
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Supplementary)**		**1313.33**	**...**	**1313.33**
	स्वीकृत		Voted:	1313.33	...	1313.33

टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें व्यय की कटौती के रूप में समायोजित किया जाता है।

Note : The above estimates do not include the recoveries shown below which are adjusted in reduction of expenditure:

पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय		4801-Capital Outlay on Power Projects				
	स्वीकृत		Voted:	(-) 1313.33	...	(-) 1313.33

(क) और (ख) इस पूरक अनुदान की आवश्यकता तत्कालीन नाभिकीय विद्युत बोर्ड से भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (एनपीसीआईएल) के निवेश (966.86 करोड़ रुपए) तथा ऋण (346.47 करोड़ रुपए) के रूप में परिसम्पतियों के अन्तरण से सम्बद्ध लेखा समायोजनों को निर्धारित करने के लिए है। चूंकि, व्यय लेखा समायोजनों के स्वरूप का है, अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(a) & (b) Supplementary grant is required to carry out accounting adjustments relating to transfer of assets of erstwhile Nuclear Power Board to Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) as investment (Rs. 966.86 crore) and loan (Rs.346.47 crore). Since expenditure is in the nature of accounting adjustments, a technical supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.7

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।
(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	93.20	76.20	169.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	84.00	339.69	423.69
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**177.20**	**415.89**	**593.09**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2852- उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	84.00 (कa)	84.00
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4857- रसायन एवं औषध उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4857-Capital outlay on Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted:	273.31 (खb)	...	273.31
6857- रसायन एवं औषध उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted:	...	66.38 (गc)	66.38
जोड़ पूंजी भाग	**स्वीकृत**	**Total Capital Section**	**Voted:**	**273.31**	**66.38**	**339.69**
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**273.31**	**150.38**	**423.69**

पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए हैः-

(क) (i) भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति राशि (50 करोड़ रुपए)।

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने में हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. को समर्थ बनाने हेतु बारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त 34 करोड़ रुपए के अग्रिम की प्रतिपूर्ति।

(ख) (i) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) की शेयर पूंजी के प्रति निवेश [23.31 करोड़ रुपए]।

(ii) हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स एवं केमिकल्स लि. (एचओसीएल) के शोध्य गैर-संचयी अधिमान्य शेयर के प्रति निवेश [250 करोड़ रुपए]।

(ग) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) की पुनर्स्थापना के लिए ब्याज रहित ऋण (56.38 करोड़ रुपए) प्रदान करना और एचएएल की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए ब्याज रहित ऋण के रूप में भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त किए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति (10 करोड़ रुपए)।

उपरोक्त में निलवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for:-

(a) (i) Compensation amount for Bhopal Gas Tragedy victims (Rs.50 crore).

(ii) Recoupment of an advance of Rs.34 crore obtained from the Contingency Fund of India to enable Hindustan Antibiotics Ltd. to implement a voluntary retirement scheme.

(b) (i) Investment towards share capital of Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL) [Rs.23.31 crore].

(ii) Investment towards redeemable non-cumulative preference share of Hindustan Organics & Chemicals Ltd. (HOCL) [Rs.250 crore].

(c) Providing interest free loan for rehabilitation of Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL) (Rs.56.38 crore) and recoupment of advance obtained from Contingency Fund of India towards interest free loan for working capital requirement of HAL (Rs.10 crore).

The above will entail a net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.8

उर्वरक विभाग
DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)।
(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	18049.02	105.04	18154.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	2770.37	...	2770.37
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	भारित		***Charged:***	**...**	**...**	**...**
	स्वीकृत		**Voted:**	**20819.39**	**105.04**	**20924.43**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2401-फसल उत्पादन		2401-Crop Husbandry				
	स्वीकृत		Voted:	...	2100.00 (कa)	2100.00
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3475-Other General Economic Services	Voted:	...	670.37 (खb)	670.37
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**...**	**2770.37**	**2770.37**

टिप्पणीः *(क) अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *(a) The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
2401-फसल उत्पादन		2401-Crop Husbandry				
	स्वीकृत		Voted:	...	(-) 600.00	(-) 600.00

टिप्पणीः *(ख) अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *(b) The above estimates of additional requirements do not take into account the receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	1475-Other General Economic Services	Voted:	...	(-) 670.37	(-) 670.37

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(क) (i) आयातित यूरिया पर सब्सिडी (1500 करोड़ रुपए) ।

(ii) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (600 करोड़ रुपए)।

(ख) फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) संबंधी ऋण और बकाया ऋण पर ब्याज को बट्टे-खाते में डालने हेतु । इसमें नकद व्यय नहीं होगा ।

इस पूरक अनुदान में 1500 करोड़ रुपए निवल नकद व्यय होगा ।

This supplementary grant is required for the following purposes:

(a) (i) Subsidy on imported urea (Rs.1500 crore).

(ii) Subsidy on imported decontrolled fertilisers (Rs.600 crore).

(b) Write-off of loan and interest on outstanding loan in respect of Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd. (FACT). This will not involve cash outgo.

This supplementary will entail a net cash outgo of Rs.1500 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 11

वाणिज्य विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)।
(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.10*	*...*	*0.10*
	स्वीकृत		Voted:	1872.74	654.00	2526.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1872.85**	**654.00**	**2526.85**
	भारित		*Charged:*	*0.10*	*...*	*0.10*
	स्वीकृत		Voted:	1872.75	654.00	2526.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2407- बागान	स्वीकृत	2407-Plantations	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान ऐसे कॉफी उत्पादकों के संबंध में जिन्होंने बढ़ाई गई अंतिम तिथि 31 मई, 2006 तक अपने हिस्से के ब्याज का भुगतान कर दिया है विशेष कॉफी सावधि ऋण को एक तिहाई ब्याज भार चुकाने के लिए, पिछले वर्ष घोषित किए गए कॉफी रिलीफ पैकेज के अंतर्गत कॉफी बोर्ड को भुगतान करने हेतु मांगा गया है (30.00 करोड़ रूपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

Supplementary grant is sought for payment to Coffee Board under the Coffee Relief Package announced last year, for meeting one-third interest burden on Special Coffee Term Loan in respect of those coffee growers who have paid their share of the interest component during the extended deadline upto 31st May, 2006 (Rs. 30.00 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 17

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)।
(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	210.03	20.97	231.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	6.77	...	6.77
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**216.80**	**20.97**	**237.77**

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	5.18 (कa)	...	5.18
3602-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.60 (खb)	...	0.60
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.99 (गc)	...	0.99
जोड़-राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total-Revenue Section**	**Voted:**	**6.77**	**...**	**6.77**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(क) और (ख) माप और तोल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की योजना के कार्यान्वयन हेतु ।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान के अंतर्गत निधियां बढ़ाना ।

चूंकि अनुदान के पूंजी भाग के तहत उपलब्ध समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएगी, तकनीकी पूरक अनुदान मांगे गए हैं ।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) and (b) for implementation of the scheme Strengthening of Weights & Measures Infrastructure.

(c) For augmentation of funds under the lump sum provision for projects/schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim.

As equivalent savings available within the Capital Section of the Grant will be surrendered, technical supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO.18

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)।
(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	24655.88	339.60	24995.48
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*0.56*	...	*0.56*
	स्वीकृत		Voted:	1.12	...	1.12
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**24657.58**	**339.60**	**24997.18**
	भारित		*Charged:*	*0.58*	...	*0.58*
	स्वीकृत		Voted:	24657.00	339.60	24996.60

II.इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II.This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2408-खाद्य, संग्रहण एवं भाण्डागार		2408-Food, Storage and Warehousing				
	भारित		*Charged:*	...	*0.56* (कa)	*0.56*
	स्वीकृत		Voted:	1.12 (खb)	...	1.12
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**1.12**	**0.56**	**1.68**
	भारित		*Charged:*	...	*0.56*	*0.56*
	स्वीकृत		Voted:	1.12	...	1.12

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः-

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान मूंगफली के बफर स्टॉक आपरेशन और वर्ष 1978-80 के दौरान सोयाबीन मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) परिचालन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) द्वारा उठाए गए नुकसान की राशि के संबंध में विवाचन निर्णय की पालना में नेफेड को ब्याज का भुगतान। चूंकि अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) संग्रहण गोदामों के निर्माण के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करना। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।

This supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:-

(a) Payment of interest to National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, Ltd. (NAFED) in satisfaction of arbitration award on the amount of losses incurred by it on account of groundnut buffer stocking operation during 1977-78 and Price Support Scheme (PSS) operation of soyabean during 1978-80. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted Section of the Grant, a technical supplementary is sought.

(b) Providing grants-in-aid to the State Government of Jammu and Kashmir for construction of storage godowns. As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Section of the Grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.19

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)।

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	772.00	48.00	820.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	25.05	...	25.05
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**797.05**	**48.00**	**845.05**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2205-कला एवं संस्कृति		2205-Art and Culture				
	स्वीकृत		Voted:	5.00 (कa)	20.04 (खb)	25.04
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**5.01**	**20.04**	**25.05**

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गई हैः

(क) प्राचीन संस्कृत नाट्य रूप - कुट्टीयट्टम, वेदोच्चारण और रामलीला जिन्हें यूनेस्को द्वारा "मानवता की मौखिक एवं अमूर्त्त विरासत" घोषित किया गया है, के संवर्धन में लगी संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को सहायता अनुदान।

(ख) (i) राष्ट्रीय गाँधी संग्रहालय, नई दिल्ली (5.00 करोड़ रुपए) और कस्तूरबा गाँधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इंदौर को सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपए)।

(ii) स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध, 1857 की 150वीं वर्षगाँठ के समारोह के भाग के रुप में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लिए निधि प्रदान करने के लिए (10.00 करोड़ रुपए)।

(iii) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (इड्सा)को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य संबंधी लाल बहादुर शास्त्री चेयर के संस्थापन हेतु सहायता अनुदान (0.04 करोड़ रुपए)।

इनमें निवल नकद व्यय होगा।

(ग) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों, जैसे (i) केन्द्रीय पुस्तकालय, मुम्बई (0.40 करोड़ रुपए) और कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय, चेन्नई (0.60 करोड़ रुपए) को अनुदान।

चूंकि, बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) Grants-in-aid to institutions/voluntary organisations and individuals engaged in promotion of Ancient Sanskrit Theatre Forms - Kuttiyattam, Vedic chanting and Ramlila which have been declared "Oral and Intangible Heritage of Humanity" by the UNESCO.

(b) (i) Grants-in-aid to National Gandhi Museum, New Delhi (Rs.5.00 crore) and Kasturba Gandhi National Memorial Trust, Indore (Rs.5.00 crore).

(ii) For providing funds for various programmes and activities being organised as a part of celebration of 150th Anniversary of the First War of Independence, 1857 (Rs.10.00 crore).

(iii) Grants-in-aid to Institute of Defence Studies and Analysis (IDSA) for instituting Lal Bahadur Shastri Chair on research work in the area of National Security (Rs.0.04 crore).

These will entail net cash outgo.

(c) Grants to State Central Libraries, i.e. (i) Central Library, Mumbai (Rs.0.40 crore) and Connemera Public Library, Chennai (Rs.0.60 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 27

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय
CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)।
(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	*13.75*	*13.75*
	स्वीकृत		Voted:	...	37444.25	37444.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	...	*15.00*	*15.00*
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**...**	**37473.00**	**37473.00**
	भारित		*Charged:*	...	*28.75*	*28.75*
	स्वीकृत		Voted:	...	37444.25	37444.25

II.इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II.This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		4076-Capital Outlay on Defence Services				
	भारित		*Charged:*	...	*15.00*	*15.00*

पूरक विनियोग की आवश्यकता न्यायालय के आदेशों के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए है। इस प्रयोजन हेतु भारत की आकस्मिता निधि से 8 करोड़ रुपए के अग्रिम की मंजूरी दी गई थी जो पूरक अनुदान की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् निधि को वापस कर दिया जाएगा। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

This supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure arising out of court decrees. An advance of Rs.8 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose, which shall be recouped to the Fund after supplementary grant is passed. As an equivalent amount will be surrendered from the Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 29

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)।

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	1495.63	24.51	1520.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*...*	*0.60*	*0.60*
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1495.63**	**25.11**	**1520.74**
	भारित		*Charged:*	*...*	*0.60*	*0.60*
	स्वीकृत		Voted:	1495.63	24.51	1520.14

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य विनियोग के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
पूँजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
5425-अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण संबंधी अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	*भारित*	5425-Capital Outlay on other Scientific and Environmental Research	*Charged:*	*0.60*	*...*	*0.60*
जोड़ (पूंजी भाग)		**Total (Capital Section)**		**0.60**	**...**	**0.60**
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**0.60**	**...**	**0.60**
	भारित		*Charged:*	*0.60*	*...*	*0.60*

फास्ट ट्रैक न्यायालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश के अधिनिर्णय के तहत भू-स्वामियों को भुगतान करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम राशि की पूर्ति के लिए पूरक विनियोग मांगा गया है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

Supplementary appropriation is sought for recoupment of an advance obtained from the Contigency Fund of India for making payment to landowners under an award of the Fast Track Court, Solan, Himachal Pradesh. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 30

विदेश मंत्रालय
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिए)।

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः	***I. ORIGINAL GRANT:***				
भारित		*Charged:*	*0.03*	...	*0.03*
स्वीकृत		Voted:	3464.61	230.41	3695.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत		Voted:	101.03	...	101.03
जोड़ (मूल और पूरक)	**Total (Original plus Supplementary)**		**3565.67**	**230.41**	**3796.08**
भारित		*Charged:*	*0.03*	...	*0.03*
स्वीकृत		Voted:	3565.64	230.41	3796.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग	***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**				
2061-विदेश कार्य	2061- External Affairs				
स्वीकृत		Voted:	...	101.03	101.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :-

(i) नेपाल सरकार को 100 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता

(ii) राष्ट्रमंडल की डिजिटल-डिबाइड के लिए राष्ट्रमण्डल कारवाई कार्यक्रम के सहायतार्थ विशेष निधि को 1.03 करोड़ रुपए का अनुदान।

इनमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(i) Economic Assistance of Rs. 100 crore to Government of Nepal.

(ii) Contribution of Rs. 1.03 crore to the Commonwealth's Special Voluntary Fund to support the Commonwealth Action Programme for Digital Divide.

These will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 31

आर्थिक कार्य विभाग
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।
(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	2887.82	658.01	3545.83
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**2887.83**	**658.02**	**3545.85**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3475-Other General Economic Services	Voted:	...	0.01 (कa)	0.01
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4075- विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**0.02**	**0.02**

पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः-

(क) सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) की तैयारी और मूल्यांकन में सुधार करने तथा लाभप्रदत्ता अन्तर के निधियन के कार्यों के लिए विश्व बैंक अनुदान के तहत लगभग 0.51 करोड़ रुपए के विदेशी सहायता घटक की मंजूरी देने के लिए।

(ख) बजट प्रेस के लिए एक नई मल्टीकलर वेब आफसाइट प्रिटिंग मशीन की खरीद के सबंध में लगभग 8.00 करोड़ रुपए के व्यय की पूर्ति हेतु।

चूंकि व्यय की पूर्ति अनुदान के सबंधित भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से की जाएगी इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

This Supplementary Grant is sought for the following purposes:-

(a) For pass through of externally aided component of around Rs.0.51 crore under the World Bank Grant to improve preparation and appraisal of Public Private Partnership (PPP) and operations of Viability Gap Funding.

(b) To meet expenditure of around Rs.8.00 crore in connection with purchase of one new Multicolour Web offset printing machine for Budget Press.

As the expenditure will be met from the savings available within the respective section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO.33

वित्तीय संस्थाओं को भुगतान
PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)।
(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः	*I. ORIGINAL GRANT:*				
स्वीकृत		Voted:	4169.43	232.80	4402.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत		Voted:	4208.61	42.45	4251.06
जोड़ (मूल और पूरक)	**Total (Original plus Supplementary)**				
स्वीकृत		Voted:	8378.04	275.25	8653.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**				
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235-Social Security and Welfare				
स्वीकृत		Voted:	...	0.01 (कa)	0.01
2416-कृषि वित्तीय संस्थाएं	2416-Agricultural Financial Institutions				
स्वीकृत		Voted:	...	100.01 (खb)	100.01
3466-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions				
स्वीकृत		Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services				
स्वीकृत		Voted:	...	4108.58 (घd)	4108.58
जोड़-राजस्व भाग स्वीकृत	**Total-Revenue Section**	**Voted:**	**...**	**4208.61**	**4208.61**
पूंजी भाग	*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**				
5466-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466- Investments in International Financial Institutions				
स्वीकृत		Voted:	...	42.45 (ङe)	42.45
जोड़ (पूरक)	**Total (Supplementary)**				
स्वीकृत		Voted:	...	4251.06	4251.06

टिप्पणीः *अतिरिक्त आवश्यकता के उक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction in expenditure.*

मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**				
5465-सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं मे निवेश	5465- Investments in General Financial and Trading Institutions				
स्वीकृत		Voted:	...	-4108.58	-4108.58

पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(क) गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लाभार्थ सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (12.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु । चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है ।

The Supplementary grant is required for the following purposes:

(a) To meet additional requirement (Rs.12.00 crore) for Universal Health Insureance Scheme for the benefit of Below Poverty Line (BPL) families. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) किसानों को अल्पावधि ऋण पर ब्याज अनुदान (100.00 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए । इसमें नकद व्यय होगा ।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को लगभग 4.60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूरक अनुदान प्रदान करने के लिए । चूंकि अनुदान के इसी भाग के अंन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है ।

(ग) अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि (एआरटीएफ) के लिए अंशदान से संबंधित व्यय की पूर्ति हेतु (0.90 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है ।

(घ) 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार इण्डियन बैंक की संचयी हानियों (3830.14 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते में डालने और युनाइटिड बैंक आफ इण्डिया की संचयी हानियों (278.44 करोड़ रुपए) को उनकी इक्विटी पूंजी में से घटाने के लिए । इन्हें पूंजी खाते में प्राप्तियों और वसूलियों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा ।

(ड.) (i) बहुपक्षीय ऋण राहत उपक्रमण (एमडीआरआई) के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) को अंशदान के प्रति हुए अतिरिक्त व्यय (2.87 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु । इसमें नकद व्यय होगा।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इसकी भारतीय रुपयों की धारिता के अनुरक्षण मूल्य (एमओवी) के प्रति अतिरिक्त निवेश (39.57 करोड़ रुपए) हेतु। इसे रुपया प्रतिभूतियां जारी करके प्रतिसंतुलित किया जाएगा, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(iii) अफ्रीकी विकास बैंक (एडीएफ) के बहुपक्षीय ऋण राहत उपक्रमण (एमडीआरआई) के लिए भुगतान (1.37 करोड़ रुपए) करने हेतु । चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है ।

(b) (i) For providing interest subvention on short term credit to farmers (Rs.100.00 crore). This will entail a cash outgo

(ii) For providing additional complementary contribution of around Rs.4.60 crore to International Fund for Agricultural Development (IFAD). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought..

(c) To meet expenditure in connection with contribution (Rs.0.90 crore) for Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) For writing off of accumulated losses of Indian Bank (Rs.3830.14 crore) and netting of accumulated losses of United Bank of India (Rs.278.44 crore) against their equity capital as on 31.3.2006. This will be matched by receipts and recoveries on capital account, hence there is no cash outgo.

(e) (i) To meet additional expenditure (Rs.2.87 crore) towards contribution to International Development Association (IDA) for Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI). This will entail a cash outgo.

(ii) For additional investment (Rs.39.57 crore) in International Monetary Fund towards Maintenance of Value (MOV) of its holding of Indian rupees. This will be matched by issuing rupee securities, hence, there will be no cash outgo.

(iii) For making payment (Rs.1.37 crore) to Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) of the African Development Fund (ADF). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.35

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)।
(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*29406.50*	*5000.00*	*34406.50*
	स्वीकृत		Voted:	28924.79	...	28924.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	4500.00	...	4500.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**62831.29**	**5000.00**	**67831.29**
	भारित		*Charged:*	*29406.50*	*5000.00*	*34406.50*
	स्वीकृत		Voted:	33424.79	...	33424.79

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	4500.00	...	4500.00
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**4500.00**	**...**	**4500.00**

इस पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः-

(i) सामान्य केन्द्रीय सहायता (1000 करोड़ रुपए) प्रदान करना।

(ii) विशेष केन्द्रीय सहायता (500 करोड़ रुपए) प्रदान करना।

(iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) (3000 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत सहायता अनुदान जारी करने हेतु।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for the following purposes:-

(i) To provide for Normal Central Assistance (Rs.1000 crore).

(ii) To provide for Special Central Assistance (Rs.500 crore).

(iii) For releasing Grants-in-aid to States under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (EAP) [Rs.3000 crore].

These will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 41

राजस्व विभाग
DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिए)।
(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	3339.07	2.06	3341.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*23.00*	...	*23.00*
	स्वीकृत		Voted:	1000.00	...	1000.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**4362.09**	**2.06**	**4364.15**
	भारित		*Charged:*	*23.02*	...	*23.02*
	स्वीकृत		Voted:	4339.07	2.06	4341.13

II.इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II.This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2875-अन्य उद्योग	*स्वीकृत*	2875-Other Industries	*Charged:*	...	*23.00* (कa)	*23.00*
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	1000.00 (खb)	1000.00
जोड़-पूरक	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**1023.00**	**1023.00**

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(क) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से 2005-2006 के संबंध में क्रय कर की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) मूल्य वर्धितकर (वैट) लागू होने से राज्य सरकारों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The Supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

(a) For meeting additional expenditure for payment of purchase tax arrears pertaining to financial years 1999-2000 to 2005-2006 by Central Bureau of Narcotics to the Goverment of Uttar Pradesh in compliance with Supreme Court judgement. This will entail a cash out go.

(b) For meeting additional requirement for compensation to State Governments for revenue loss due to introduction of Value Added Tax (VAT). This will entail a cash out go.

मांग संख्या DEMAND NO. 44

विनिवेश विभाग
DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिए)।
(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः	***I. ORIGINAL GRANT:***				
स्वीकृत		Voted:	10.05	7680.00	7690.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत		Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	**Total (Original plus Supplementary)**				
स्वीकृत		**Voted:**	**10.05**	**7680.01**	**7690.06**

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
पूंजी भाग	***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**				
5467-राष्ट्रीय निवेश निधि के निवेश पर पूँजी परिव्यय	5467-Capital Outlay on Investment of National Investment Fund				
स्वीकृत		Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	**Total (Supplementary)**				
स्वीकृत		**Voted:**	**...**	**0.01**	**0.01**

इस सांकेतिक पूरक अनुदान की माँग 3840 करोड़ रुपए के आवंटन हेतु की गई है, जो तीन चुनिंदा फंड प्रबंधकों जैसे, (i) जीवन बीमा निगम म्यूचुअल फंड (419 करोड़ रुपए); (ii) भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड (1056 करोड़ रुपए); और (iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड (2365 करोड़ रुपए) की राष्ट्रीय निवेश निधि को प्राप्त होना अनुमानित है।

A token supplementary grant is sought for allocation of Rs.3840 crore estimated to be received in National Investment Fund to the three selected Fund Managers i.e. (i) Life Insurance Corporation Mutual Fund (Rs.419 crore); (ii) State Bank of India Mutual Fund (Rs.1056 crore); and (iii) Unit Trust of India Mutual Fund (Rs.2365 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिए)।
(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(*करोड़ रुपए Rupees in Crore*)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	173.70	...	173.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	16.50	16.51
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**173.71**	**16.50**	**190.21**
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	173.71	16.50	190.21

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ		3451-Secretariat- Economic Services				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4408-खाद्य भंडारण एवं भांडागारण पर पूंजी परिव्यय		4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing				
	स्वीकृत		Voted:	16.50 (खb)	...	16.50
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**16.51**	**...**	**16.51**

(क) इस पूरक अनुदान की आवश्यकता धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर को राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में विकसित करने पर होने वाले व्यय (1.00 करोड रुपए) की पूर्ति के लिए है। व्यय की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(ख) इस पूरक अनुदान की आवश्यकता कुंडली, हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमवृति एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए है। चूंकि समतुल्य धनराशि अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(a) The supplementary grant is required for meeting expenditure on developing the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur as a national level institute (Rs.1.00 crore). The expenditure will be met out of savings available in the same Section of the Grant. Hence a token supplementary is sought.

(b) Supplementary grant is required for meeting expenditure for setting up of National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management at Kundli, Haryana. As an equivalent amount will be surrendered from the revenue section of the grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)।
(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	13874.55	475.68	14350.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	4.50	4.51
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**13874.56**	**480.18**	**14354.74**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
जोड़ राजस्व भाग		**Total Revenue Section**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**0.01**	**...**	**0.01**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	4.50 (खb)	...	4.50
जोड़ पूंजी भाग		**Total Capital Section**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**4.50**	**...**	**4.50**
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**4.51**	**...**	**4.51**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(क) (i) चार सरकारी मेडिकल कालेजों अर्थात् (i) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, (ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (iii) गवर्मैंट मेडिकल कालेज, चण्डीगढ़, और (iv) गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली को मेडिकल कालेजों में भौतिक चिकित्सा शास्त्र तथा पुनर्वास विभाग में सुविधाओं का उन्नयन करने की योजना के तहत प्रत्येक को 0.10 करोड़ रुपए की दर पर अनुदान प्रदान करना।

(ii) नेत्र उपस्कर की खरीद के लिए राष्ट्रीय रोहा एवं अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य समितियों को अनुदान (5.00 करोड़ रुपए) प्रदान करना और

The supplementary grants are required for the following purposes:

(a) (i) Providing grants to 4 Government Medical Colleges viz.(i) Jawaharlal Institute of Post-graduation Medical Education and Research, Pondicherry; (ii) Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi; (iii) Government Medical College, Chandigarh; and (iv) Guru Teg Bahadur Hospital, Delhi @Rs.0.10 crore each under the scheme upgradation of the facilities in the Department of Physical Medicine and Rehabilitation in the medical colleges.

(ii) Providing grants to State Societies under National Trachoma and Blindness Control Programme for procurement of ophthalmic equipment (Rs.5.00 crore) and

(iii) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बहु औषध कुष्ठ रोग जिला समितियों को अनुदान प्रदान करना (7.02 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) राष्ट्रीय मेडिकल पुस्तकालय (0.50 करोड़ रुपए) और अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (4.00 करोड़ रुपए) में पूंजी निर्माण कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए।

जैसाकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए 4.50 करोड़ रुपए का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें नकद परिव्यय नहीं होगा।

(iii) Providing grants to Multi Drug Leprosy District Societies under National Leprosy Control Programme (Rs.7.02 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary grant is sought.

(b) For meeting expenditure on capital works in National Medical Library (Rs.0.50 crore) and All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata (Rs.4.00 crore).

As equivalent amount shall be surrendered from the revenue section of the grant, a technical supplementary of Rs.4.50 crore is sought. This shall not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 47

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्व और होम्योपैथी (आयुष)
DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)।
(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	445.89	2.00	447.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	--	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		Voted:	445.90	2.00	447.90

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व विभाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थय		2210-Medical and				
	स्वीकृत	Public Health	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted**:	**0.01**	**...**	**0.01**

यह पूरक अनुदान "आयुष के इस्तेमाल और इसकी स्वीकार्यता के संबंध में सर्वेक्षण" की स्कीम के तहत आयुष विभाग द्वारा प्रशासित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का व्यापक, स्वतंत्र मूल्यांकन करने (0.55 करोड़ रुपए) और व्यापक विपणन शोध के लिए अतिरिक्त व्यय (0.35 करोड़ रुपए) की पूर्ति करने के लिए है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure (Rs. 0.55 crore) for undertaking comprehensive, independent evaluation of Centrally Sponsored Schemes administered by the Department of AYUSH, and for a comprehensive market research under the scheme "Survey on Usage and Acceptability of AYUSH" (Rs. 0.35 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary grant is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 48

भारी उद्योग विभाग
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिए)।
(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	332.74	580.88	913.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	1992.30	0.02	1992.32
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**2325.04**	**580.90**	**2905.94**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	1992.30 (कa)	1992.30
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4854-सीमेंट और गैर-घाटिवध खनिज उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4854-Capital outlay on Cement and Non-metallic Mineral Industries	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
4858-इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4858-Capital outlay on Engineering Industries	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ पूंजी भाग	**स्वीकृत**	**Total Capital Section**	**Voted:**	**0.02**	**...**	**0.02**
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.02**	**1992.30**	**1992.32**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(क) (i) 1.6.2006 से 31.8.2006 तक की अवधि के लिए सरकारी परिसमापन और सहायक स्टाफ को वेतनों का भुगतान करने और प्रशासनिक खर्चों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि. (एनआईडीसी) को सहायता अनुदान (0.04 करोड़ रुपए) जैसाकि अनुदान के पूंजी भाग के तहत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) आवश्यक लेखा समायोजन करने के लिए जैसे कि (i) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग निगम लि. (एचईसी) क`संबंध में आयोजना-भिन्न ऋण एवं आयोजना ऋण एवं आयोजना-भिन्न ऋण पर ब्याज (1101.03 करोड़) की छूट और भारतीय सीमेंट निगम के संबंध में 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार आयोजना एवं आयोजना-भिन्न ऋम पर ब्याज (880.63 करोड़ रुपए) तथा 31.3.2005 तक गारण्टी शुल्क सब्सिडी (10.60 करोड़ रुपए) की छूट। इनकी पूर्ति-प्राप्तियों द्वारा की जाएगी इसिलए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for the following purposes:

(a) (i) Grants-in-aid to National Industrial Development Corporation Ltd. (NIDC) (Rs. 0.04 crore) for payment of salaries to the Official Liquidator and supporting staff and administrative expenses for the period 1.6.2006 to 31.8.2006. As matching savings are available under Capital Section of the Grant, a technical supplementary is sought. It will not entail cash outgo.

(ii) For carrying out necessary accounting adjustments viz. (i) waiver of non-Plan loan and interest on Plan & non-Plan loan (Rs. 1101.03 crore) as on 31.3.2005 in respect of Heavy Engineering Corporation Ltd. (HEC) and (ii) waiver of interest on Plan & non-Plan loan (Rs. 880.63 crore) as on 31.3.2005 and Guarantee fee subsidy (Rs. 10.60 crore) upto 31.3.2005 in respect of Cement Corporation of India. These will be matched by receipts, and hence will not entail cash outgo.

(ख) आवश्यक लेखा समायोजन जैसे कि भारतीय सीमेंट निगम के संबंध में आयोजना-भिन्न ऋण (355.43 करोड़ रुपए) का 0.01 प्रतिशत शोध्य अधिमान्य शेयर पूंजी में रुपान्तरण, करने के लिए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) आवश्यक लेखा समायोजन जैसे कि (i) एचएमटी बेयरिंग्स लि. (3.70 करोड़ रुपए) और (ii) प्रागा टूल्ज लि. (1.50 करोड़ रुपए) के संबंध में ऋण का इक्विटी में रुपान्तरण, करने के लिए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(b) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of non-Plan loan (Rs. 355.43 crore) into 0.01 per cent redeemable preference share capital in respect of Cement Corporation of India.

(c) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of loan into equity in respect of (i) HMT Bearings Ltd. (Rs. 3.70 crore) and (ii) Praga Tools Ltd. (Rs. 1.50 crore).

मांग संख्या DEMAND NO.52

पुलिस
POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिए)।

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*3.44*	*17.35*	*20.79*
	स्वीकृत		Voted:	14090.65	2039.38	16130.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**14094.10**	**2056.74**	**16150.84**
	भारित		*Charged:*	*3.44*	*17.35*	*20.79*
	स्वीकृत		Voted:	14090.66	2039.39	16130.05

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3602-संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	...	0.01 (कa)	0.01
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4055-Capital Outlay on Police	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़-(पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**0.02**	**0.02**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए हैः-

(क) पुलिस बल का आधुनिकीकरण नामक योजना के तहत संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों को सहायता प्रदान करना (176.80 करोड़ रुपए)।

(ख) अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (1.00 करोड़ रुपए), लक्षद्वीप (1.17 करोड़ रुपए), पांडिचेरी (0.35 करोड़ रुपए) और दमन व दीव (0.78 करोड़ रुपए) के संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों में तट पर गश्त और निगरानी के लिए आधारढांचे को सुदढ़ करना।

चूंकि उपर्युक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के संबंधित सभागों के अन्तर्गत तदनुरूप बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

This supplementary grant is required for:

(a) Providing assistance to Union Territory Governments under the scheme “Modernisation of Police Force” (Rs.176.80 crore).

(b) Strengthening infrastructure for coastal patrolling and surveillance in the Union Territory Governments of Andaman & Nicobar Islands (Rs.1.00 crore), Lakshadweep (Rs.1.17 crore), Pondicherry (Rs.0.35 crore) and Daman & Diu (Rs.0.78 crore).

As corresponding savings are available to meet the above expenditures within the respective Sections of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.53

गृह मंत्रालय को अन्य व्यय
OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिए)।
(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.02*	*...*	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	964.51	...	964.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	337.11	...	337.11
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1301.64**	**...**	**1301.64**
	भारित		*Charged:*	*0.02*	*...*	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	1301.62	...	1301.62

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत		2245-Relief on account of Natural Calamities				
	स्वीकृत		Voted:	...	15.71(कa)	15.71
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	321.40(खb)	321.40
जोड़-(पूरक)		**Total (Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**...**	**337.11**	**337.11**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित पर व्यय की पूर्ति करने के लिए हैः-

(क) (i) मेरठ में ब्रांडस भारतीय उपभोक्ता प्रदर्शनी" में हुई आग दुर्घटना के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए (0.87 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ii) जम्मू और कश्मीर में भूकम्प से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री, आश्रय आदि प्रदान करने के लिए सहायता (15.70 करोड़ रुपए)।

(ख) (i) जम्मू और कश्मीर में भूकम्प से पीडित लोगों को राहत सामग्री, आश्रय आदि प्रदान करने के लिए सहायता (99.05 करोड़ रुपए)।

(ii) 1984 के दंगा पीडितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए (222.35 करोड़ रुपए)

(क)(ii), (ख) (i) और (ii) में नकद व्यय होगा।

इस पूरक अनुदान में 337.10 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

This supplementary grant is required for meeting the expenditure on:

(a) (i) Providing relief to victims of fire incidence related to the "Brands India Consumers Show" in Meerut (Rs.0.87 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ii) Providing relief items, shelters, etc. to people affected by earthquake in Jammu and Kashmir (Rs.15.70 crore).

(b) (i) Assistance for providing relief items, shelters, etc. to people affected by earthquake in Jammu and Kashmir (Rs.99.05 crore).

(ii) Providing compensation to victims of 1984 riots (222.35 crore).

(a)(ii),(b)(i) and (ii) will entail cash outgo.

The supplementary will entail a net cash outgo of Rs.337.10 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 54

संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण
TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिए)।
(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	1123.37	72.00	1195.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	22.12	...	22.12
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**1145.49**	**72.00**	**1217.49**

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3602-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान		3602-Grants-in aid to Union Territory Governments				
	स्वीकृत		Voted:	...	22.12	22.12
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**				
	स्वीकृत		Voted:	...	22.12	22.12

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए है। इसमें नकद व्यय होगा।

This supplementary grant is required for providing compensation to victims of 1984 riots. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 56

माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिए)।
(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	6982.27	0.01	6982.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**6982.29**	**0.01**	**6982.30**

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2202-सामान्य शिक्षा		2202-General Education				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा		2203-Technical Education				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.02**	**...**	**0.02**

पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया हैः-

(क) एजूकेशन हेल्पलाइन "वन स्टोप एजूकेशन पोर्टल", नामक एक परियोजना जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों, अध्यापकों और उन लोगों को जो शिक्षा के रोजगार में है अथवा ज्ञान की खोज में रत है, के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति को सुसाध्य बनाना है, तैयार करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान (4.95 करोड़ रुपए)।

(ख) "दूरवर्ती शिक्षा और वेब आधारित शिक्षा को समर्थन" की योजना के तहत सहायता अनुदान। "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा कार्यक्रम" के तहत अपेक्षित प्रावधान स्थापना संबंधी व्यय हेतु और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए है (5.97 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बराबर की बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are sought for the following:-

(a) Grants-in-aid to the Central Board of Secondary Education to develop a “One Stop Education Portal” an Education-Helpline (Rs.4.95 crore), a project with the objective to facilitate lifelong learning of students, teachers and those in employment or in pursuit of knowledge.

(b) Grants-in-aid under the scheme “Support to Distance Education & Web-based Learning”. The provision is required under “National Programme for Technology Enhanced Learning” for incurring establishment related expenditure and for National and Regional Training Workshop (Rs.5.97 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 61

विधि और न्याय
LAW AND JUSTICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिए)।
(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	872.92	0.03	872.95
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**872.93**	**0.03**	**872.96**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052-Secretariat General Services	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**0.01**	**0.01**

यह पूरक अनुदान कन्नूर विश्वविद्यालय को कानून की पुस्तकें खरीदने हेतु सहायता अनुदान (50,000 रुपए) प्रदान करने के लिए मांगा गया है।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।

The Supplementary grant is sought for providing grants-in-aid (Rs. 50,000/-) to Kannur University for purchase of Law Books.

As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 64

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिए)।
(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	538.39	65.25	603.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	--	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**538.40**	**65.25**	**603.65**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2810-गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	स्वीकृत	2810-Non-Conventional Sources of Energy	Voted:	0.01	--	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.01**	**--**	**0.01**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं "निरन्तर विकास हेतु बायोमास" (2.00 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन पर व्यय की पूर्ति हेतु है। चूंकि, बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting expenditure on the implementation of the Externally Aided Project, “Biomass for Sustainable Development” (Rs.2.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 69

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिए)।
(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः	*I. ORIGINAL GRANT:*				
भारित		*Charged:*	*7.14*	*9.00*	*16.14*
स्वीकृत		Voted:	301.13	28.03	329.16
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत		Voted:	...	1.00	1.00
जोड़ (मूल और पूरक)	**Total (Original plus Supplementary)**		**308.27**	**38.03**	**346.30**
भारित		*Charged:*	*7.14*	*9.00*	*16.14*
स्वीकृत		Voted:	301.13	29.03	330.16

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
पूंजी भाग	***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**				
4059-सार्वजनिक निर्माण कर्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works				
स्वीकृत		Voted:	1.00	...	1.00
जोड़ (पूरक)	**Total (Supplementary)**				
स्वीकृत		**Voted:**	**1.00**	**...**	**1.00**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण पर हुए व्यय के लिए है।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है जिसमें कोई निवल नकद व्यय शामिल नहीं है।

The supplementary grant is required for expenditure on construction of office building for Central Information Commission.

As matching savings available in the Revenue Section of the Grant will be surrendered a technical supplementary is sought involving no net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.70

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिए)।

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	3106.62	...	3106.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	14150.01	...	14150.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**17256.63**	**...**	**17256.63**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2802-पेट्रोलियम	स्वीकृत	2802-Petroleum	Voted:	...	14150.01	14150.01

टिप्पणीः *अतिरिक्त आवश्यकता के उक्त अनुमानों में नीचे दिखाई गयी प्राप्तियों को हिसाब में नहीं लिया गया है जिसे व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates of additional requirement do not take into account the Receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

8012-विशेष जमाराशियां एवं खाते		8012-Special Deposits and Accounts				
	स्वीकृत		Voted:	...	(-) 14150.00	(-) 14150.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए हैः

(i) घरेलू एलपीजी और पीडीएस वाले मिट्टी के तेल के कारण वर्ष 2006-07 में अनुमानित अल्प वसूलियों के प्रति तेल विपणन कम्पनियों को विशेष प्रतिभूतियां जारी करने के जरिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना (14150 करोड़ रुपए)। इसमें कोई नकद व्यय नहीं है।

(ii) "मिलावट विरोधी सैल" द्वारा किराए पर लिए गए भवनों के लिए पेट्रोलियम परिरक्षण अनुसंधान संस्था (पीसीआरए) को किराए का भुगतान करने पर हुए व्यय (0.57 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for :

(i) Providing compensation through issue of special securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under recoveries in 2006-07 on account of domestic LPG & PDS Kerosene (Rs. 14150.00 crore). It does not entail any cash outgo.

(ii) Meeting the expenditure on rental payments to Petroleum Conservation Research Association (PCRA) (Rs. 0.57 crore) for buildings hired by 'Anti Adulteration Cell'. Since savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 78

ग्रामीण विकास विभाग
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिए)।
(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	39073.18	...	39073.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	16205.00	...	16205.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**55278.18**	**...**	**55278.18**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2505-ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत	2505-Rural Employment	Voted:	16205.00	...	16205.00

टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें व्यय की कटौती के रूप में समायोजित किया जाता हैः-

Note : The above estimates of additional requirements do not take into account the Receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure:-

8012-विशेष जमाराशियाँ एवं लेखे	स्वीकृत	8012-Special Deposits and Accounts	Voted:	(-)16200.00	...	(-)16200.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(i) दिनांक 30.4.2005 तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और राष्ट्रीय काम के बदले कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) के अंतर्गत खाद्यान्न जारी करने के संबंध में बकाया देय राशि (16,200 करोड़ रुपए) के निपटान हेतु, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को विशेष प्रतिभूतियाँ जारी करने के लिए। इसमें निवल व्यय होगा।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (5 करोड़ रूपए) के प्रचालन के लिए यूएनडीपी सहायता हस्तांतरित करने हेतु। इसमें निवल व्यय होगा।

The Supplementary grant is required for the following purposes:

(i) issue of special securities to Food Corporation of India (FCI) for settlement of outstanding dues (Rs. 16,200 crore) on account of release of foodgrains under Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) and National Food for Work Programme (NFFWP) till 30.4.2005. This will not entail cash outgo.

(ii) for pass-through of UNDP assistance for operationalization of National Rural Employment Guarantee Act (Rs. 5 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 84

नौवहन विभाग
DEPARTMENT OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिए)।
(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	786.52	588.65	1375.17
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**786.52**	**588.67**	**1375.19**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
5051-पत्तनों और दीप-स्तम्भों पर पूंजी परिव्यय		5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
6858-इंजीनियरी उद्योगों के लिए ऋण		6858-Loans for Engineering Industries				
	स्वीकृत		Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**0.01**	**0.01**	**0.02**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(क) लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्यों पर नौ संचालन की सुविधाओं के निर्माण पर निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता (10.56 करोड़ रुपए) की पूर्ति करने के लिए। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को ऋण प्रदान करने के लिए लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए 700 पी एक्स जलयान के निर्माण के लिए (34.07 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) to meet the additional requirement of funds (Rs.10.56 crore) on construction of Navigation Facilities at Lakshadweep Harbour Works. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) for providing loan to Hindustan Shipyard Limited for construction of a 700 PX vessel for the Union Territory of Lakshadweep administration (Rs.34.07 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 85

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिए)।
(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*0.80*	*5.70*	*6.50*
	स्वीकृत		Voted:	11960.30	11644.25	23604.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**11961.10**	**11649.96**	**23611.06**
	भारित		*Charged:*	*0.80*	*5.70*	*6.50*
	स्वीकृत		Voted:	11960.30	11644.26	23604.56

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
पूंजी भाग **मुख्य शीर्ष**		***CAPITAL SECTION*** **MAJOR HEAD**				
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास परियोजना के अन्तर्गत सड़कों के सुधार/उन्नयन पर व्यय की पूर्ति हेतु है (550 करोड़ रुपए)। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए किए गए एकमुश्त प्रावधान से अनुदान के उसी भाग से पूरा किया जाएगा, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

This supplementary grant is required for incurring expenditure on improvement/upgradation of roads in the North Eastern Region under the Special Accelerated Roads Development Project (Rs. 550 crore). As this will be met from the lumpsum provision for North Eastern Region and Sikkim within the same section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

कपड़ा मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिए)।
(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	2034.58	1012.17	3046.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	305.02	--	305.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**2339.60**	**1012.17**	**3351.77**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व विभाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग		2851- Village and Small Industries				
	स्वीकृत		Voted:	5.01 (कa)	--	5.01
2852- उद्योग		2852- Industries				
	स्वीकृत		Voted:	300.01 (खb)	--	300.01
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**305.02**	**--**	**305.02**

इस पूरक अनूदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गई हैः

(क) (i) एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (5 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ii) पूर्वोतर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ के लिए हथकरघा क्षेत्र (6 करोड़ रुपए), हस्तशिल्प क्षेत्र (14.60 करोड़ रुपए) और रेशम कीट पालन क्षेत्र (34.95 करोड़ रुपए)। चूंकि, इन आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्वोतर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हेतु अनुदान के इसी भाग के पुनर्विनियोजन के माध्यम से परियोजनाओं/योजनाओं के लिए किए गए एकमुश्त प्रावधान से की जानी प्रस्तावित है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) (i) प्रौधोगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (300 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ii) पूर्वोतर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हेतु कपड़ा क्षेत्र (20 करोड़ रुपए) और जूट क्षेत्र (5 करोड़ रुपए)। चूंकि, इन आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्वोतर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हेतु अनुदान के इसी भाग के पुनर्विनियोजन के माध्यम से परियोजनाओं/योजनाओं के लिए किए गए एकमुश्त प्रावधान से की जानी प्रस्तावित है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a)(i) For meeting the additional requirment (Rs. 5 crore) under Integrated Handloom Cluster Development Scheme. This will entail a cash outgo.

(ii) Handloom Sector (Rs. 6 crore), Handicrafts Sector (Rs. 14.60 core) and for Sericulture Sector (Rs. 34.95 crore) for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim. As these requirments are proposed to be met from the lumpsum provision for the projects/schemes for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim, through re-appropriation within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b)(i) For meeting the additional requirment (Rs. 300 crore) under the Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS). This will entail a cash outgo.

(ii) Textiles Sector (Rs. 20 crore) and Jute Sector (Rs.5 crore) for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim. As these requirements are proposed to be met from the lumpsum provision for the projects/schemes for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim, through re-appropriation within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 94

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिए)।
(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*0.01*	*...*	*0.01*
	स्वीकृत		Voted:	1301.01	754.84	2055.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1301.03**	**754.84**	**2055.87**
	भारित		*Charged:*	*0.01*	*...*	*0.01*
	स्वीकृत		Voted:	1301.02	754.84	2055.86

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
गृह मंत्रालय		**Ministry of Home affairs**				
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत		2245-Relief on account of Natural Calamities				
	स्वीकृत		Voted:	...	0.01	0.01
जोड़-राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	...	**0.01**	**0.01**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता सुनामी राहत शिविरों में राशन एव संभार सहायता संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है, जिसे 31 मार्च, 2006 (15.00 करोड़ रूपए) से आगे बढा दिया गया है।

चूंकि व्यय की पूर्ति हेतु बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः संकेतिक पूरक अवनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting expenditure on ration and other logistic support in the Tsunami Relief camps which have been extended beyond 31st March, 2006 (Rs.15.00 crore)

As savings are available within the same section of the Grant to meet the expenditure, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 99

शहरी विकास विभाग
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिए)।
(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*26.08*	*31.00*	*57.08*
	स्वीकृत		Voted:	1067.79	1120.54	2188.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	30.00	0.01	30.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1123.87**	**1151.55**	**2275.42**
	भारित		*Charged:*	*26.08*	*31.00*	*57.08*
	स्वीकृत		Voted:	1097.79	1120.55	2218.34

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2217-शहरी विकास		2217-Urban Development				
	स्वीकृत		Voted:	30.00 (कa)	...	30.00
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय		4216-Capital Outlay on Housing				
	स्वीकृत		Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़-(पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**30.00**	**0.01**	**30.01**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया हैः-

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के कार्यान्वयन हेतु। चूंकि, अनुदान सं.35 - "राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण" से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) आयकर विभाग (7.26 करोड़ रूपए) के 165 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए लुधियाना सुधार न्यास से भूमि की खरीद के लिए। चूंकि, बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

This supplementary grant is sought for the following purposes:-

(a) For implementation of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM). As an eqivalent amount will be surrendered from Grant No.35 - "Transfers to State and Union Territory Governments", a technical supplementary is sought. There will be no cash outgo.

(b) For purchase of land from Ludhiana Improvement Trust for construction of 165 residential quarters for the Income Tax Department (Rs.7.26 crore). As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.100

लोक निर्माण
Public Works

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिए)।
(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*1.00*	*1.00*	*2.00*
	स्वीकृत		Voted:	779.77	267.54	1047.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	21.86	23.50	45.36
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**802.63**	**292.04**	**1094.67**
	भारित		*Charged:*	*1.00*	*1.00*	*2.00*
	स्वीकृत		Voted:	801.63	291.04	1092.67

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2059- लोक निर्माण	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	...	21.86(कa)	21.86
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4059- लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4059-Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	23.50(खb)	23.50
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**45.36**	**45.36**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैः-

(क) जम्मू और कश्मीर में भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक कक्षों के निर्माण के लिए।

(ख) (i) श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयकर विभाग के कार्यालय की इमारते के लिए भूमि की खरीद के लिए (13.50 करोड़ रुपए)। इस प्रयोजन के लिए भारत की अकस्मिकता निधि से ली गई 13.50 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि पूरक अनुदान स्वीकृत हो जाने के बाद वापस कर दी जाएगी; और

(ii) नई दिल्ली और मुम्बई में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय की नई इमारत के निर्माण के लिए (10.00 करोड़ रुपए)।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

(a) For construction of Community Halls in earthquake affected areas in Jammu and Kashmir.

(b) (i) For purchase of land for Income Tax Department's office building at Srinagar, Jammu & Kashmir (Rs.13.50 crore). An advance of Rs. 13.50 crore taken for this purpose from the Contingency Fund of India will be recouped after the Supplementary Grant is passed; and

(ii) For construction of new building for the Office of the Comptroller and Auditor General of India at New Delhi and Mumbai (Rs.10.00 crore).

This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 102

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
(पूर्व-शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION
(PREVIOUSLY-MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 123 देखिए)।
(See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	426.06	5.61	431.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	14.00	--	14.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**440.06**	**5.61**	**445.67**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व विभाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2217-शहरी विकास		2217-Urban Development				
	स्वीकृत		Voted:	14.00	--	14.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के कार्यान्वयन के लिए है। चूँकि अनुदान सं. 35-"राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण" से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for implementation of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM). As an equivalent amount will be surrendered from Grant No. 35 - "Transfers to State and Union Territory Governments", a technical supplementary is sought. There will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 103

जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 देखिए)।
(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*			
	भारित	*Charged:*	...	*4.00*	*4.00*
	स्वीकृत	Voted:	925.47	57.84	983.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**	**925.48**	**61.84**	**987.32**
	भारित	*Charged:*	...	*4.00*	*4.00*
	स्वीकृत	Voted:	925.48	57.84	983.32

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2701-मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	स्वीकृत	2701-Major & Medium Irrigation	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.01**	**...**	**0.01**

राज्यों में पन-बिजली परियोजना आरंभ करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (1.07 करोड़ रुपए) और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (0.12 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु पूरक अनुदान की आवश्यकता है। चूंकि, बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for providing grants-in-aid to Central Pollution Control Board (Rs.1.07 crore) and Bhakra Beas Management Board (Rs.0.12 crore) for undertaking Hydrology Project in States. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 104

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 देखिए)।
(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	662.47	6.53	669.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**662.49**	**6.53**	**669.02**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2204-खेल एवं युवा सेवाएं		2204-Sports and Youth				
स्वीकृत		Services	Voted:	0.01 (क a)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (ख b)	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.02**	**...**	**0.02**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया हैः

(क) "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमंडलों का आदान प्रदान" योजना के अंतर्गत "वर्ष 2006 के चीन-भारत मैत्री" के रूप में मनाने हेतु चीन में एक शिष्टमंडल भेजने और चीन के एक शिष्टमंडल का स्वागत करने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (2.80 करोड़ रूपए)।

(ख) "खेल संबंधी आधारभूत ढांचे के सृजन हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत लम्बित देयताओं को पूरा करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु (15.00 करोड़ रूपए)।

चूंकि, अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मद के लिए सांकेतिक अनुदान मांगे गए हैं।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) For meeting additional expenditure for sending a delegation to China and receiving a delegation from China for celebration of "2006 as China-India Friendship Year" under the scheme "Exchange of delegation of Youth at International level " (Rs. 2.80 crore).

(b) For clearing the pending liabilities and for completion of on-going approved projects in the North Eastern States under the scheme "Grants for Creation of Sports Infrastructure" (Rs. 15.00 crore)

As savings are available within the same section of the grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 105

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 देखिए)।
(See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	2.00	...	2.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	123.23	18.29	141.52
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**125.23**	**18.29**	**143.52**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	स्वीकृत	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	Voted:	101.98 (कa)	...	101.98
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security & Welfare	Voted:	...	2.06 (खb)	2.06
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत	2250-Other Social Services	Voted:	...	6.70 (गc)	6.70
2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत	2251-Secretariat Social Services	Voted:	...	1.87 (घd)	1.87
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Govts.	Voted:	9.60 (ङe)	...	9.60
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3602-Grants-in-aid to Union Territory Govts.	Voted:	1.02 (चf)	...	1.02
जोड़ राजस्व भाग		**Total Revenue Section**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**112.60**	**10.63**	**123.23**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	Voted:	16.47 (छg)	...	16.47
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	Voted:	1.82 (जh)	...	1.82
जोड़ पूंजी भाग		**Total Capital Section**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**18.29**	**...**	**18.29**
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**130.89**	**10.63**	**141.52**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए हैः

(क) (i) मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन के लिए आधारभूत निधि (100 करोड़ रुपए) जारी करना। इसमें नकद व्यय होगा।

(ii) परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.96 करोड़ रुपए); और

(iii) कोचिंग एवं संबद्ध कार्य की योजना के तहत व्यय (0.02 करोड़ रुपए)। चूंकि मांग सं.87- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः 0.98 करोड़ रुपए का तकनीकी पूरक मांगा गया है।

(iv) मीडिया प्रचार के लिए (1.00 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) वक्फ परिषदों को सहायता अनुदान। चूंकि मांग सं.87 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक मांगा गया है।

(ग) निम्नलिखित के स्थापना व्यय हेतुः-

(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (3.67 करोड़ रुपए)।

(ii) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (1.04 करोड़ रुपए)।

चूंकि मांग सं.87 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः 4.71 करोड़ रुपए का तकनीकी पूरक मांगा गया है; और

(iii) राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग (1.99 करोड़ रुपए)। इसमें से 0.72 करोड़ रुपए की राशि मांग सं.87- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अभ्यर्पित की जाएगी। इसमें 1.27 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

(घ) सचिवालय के स्थापना व्यय को पूरा करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ङ) व (च) (i) राज्य सरकारों की योग्यता एवं साधन आधारित छात्रवृत्ति के लिए सहायता-अनुदान (9.00 करोड़ रुपए) और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों (1.00 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा; और

(ii) राज्य सरकारों (0.60 करोड़ रुपए) और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों (0.02 करोड़ रुपए) कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान। चूंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मांग सं.87 से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः 0.62 करोड़ रुपए का तकनीकी पूरक मांगा गया है।

(छ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को इक्विटी अंशदान। चूंकि मांग सं.87 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक मांगा गया है।

(ज) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्कम में कार्यकलाप आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को इक्विटी अंशदान। चूंकि अनुदान के इसी भाग में पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए किए गए एक मुश्त प्रावधान से मांग सं.87 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से समतुल्य राशि अभ्यर्पित करके की जाएगी। अतः एक तकनीकी पूरक मांगा गया है।

इस पूरक अनुदान में 114.14 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The Supplementary grant is sought for:-

(a) (i) release of Corpus Fund to Maulana Azad Education Foundation (Rs.100.00 crore). This will entail cash outgo.

(ii) grants-in-aid to Non-Governmental Institutions to operate and maintain Pre- Examination Training Centre (Rs.0.96 crore); and

(iii) expenditure under Coaching and Allied Scheme (Rs.0.02 crore). As an equivalent amount shall be surrendered from Demand No. 87- Ministry of Social Justice and Empowerment, a technical supplementary of Rs.0.98 crore is sought.

(iv) expenditure towards Media Campaign (Rs.1.00 crore). This will entail cash outgo.

(b) grants-in-aid to WAKF Councils. As an equivalent amount shall be surrendered from Demand No. 87-Ministry of Social Justice and Empowerment, a technical supplementary is sought.

(c) establishment related expenditure of :-

(i) National Commission for Minorities (Rs.3.67 crore);

(ii) Special Officer for Linguistic Minorities (Rs.1.04 crore);

As an equivalent amount shall be surrendered from Demand No. 87 - Ministry of Social Justice and Empowerment, a technical supplementary of Rs.4.71 crore is sought; and

(iii) National Commission for Religious and Linguistic Minorities (Rs.1.99 crore). Out of this, Rs.0.72 crore shall be surrendered from Demand No. 87-Ministry of Social Justice and Empowerment. This will entail a net cash outgo of Rs.1.27 crore.

(d) establishment related expenditure of Secretariat of the Ministry. This will entail cash outgo.

(e) & (f) (i) grants-in-aid to State Governments (Rs.9.00 crore) and Union Territory Governments (Rs.1.00 crore) towards Merit cum Means based scholarships. This will entail cash outgo; and

(ii) grants-in-aid to State Governments (Rs.0.60 crore) and Union Territory Governments (Rs.0.02 crore) under Coaching and Allied Scheme. As an equivalent amount shall be surrendered from Demand No. 87 -Ministry of Social Justice and Empowerment, a technical supplementary of Rs.0.62 crore is sought.

(g) equity contribution to National Minorities Finance and Development Corporation. As an equivalent amount shall be surrendered from Demand No. 87 - Ministry of Social Justice and Empowerment, a technical supplementary is sought.

(h) equity contribution to National Minorities Finance and Development Corporation to undertake activities in North Eastern Region and Sikkim. As an equivalent amount shall be surrendered from Demand No. 87- Ministry of Social Justice & Empowerment from the lump-sum provision for North Eastern Region & Sikkim, a technical supplementary is sought.

This supplementary grant involves a net cash outgo of Rs.114.14 crore.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2005-06 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूल बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत अथवा 1 करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो, से बढ़ जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceed 25% of the original Budget provision or Rs. 1 crore, whichever is more during 2005-06.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2005-2006 Budget Estimates 2005-2006	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appro-priation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	**कृषि मंत्रालय** **कृषि एवं सहकारिता विभाग**	**आयोजना-भिन्न** मुख्य शीर्ष 2401-फसल कार्य 103-बीज 29-भारतीय राज्य फार्म निगम को सहायता अनुदान 290031-सहायता अनुदान			सांविधिक देनदारी निर्दिष्ट करने के लिए अरालाम फार्म की बिक्री प्राप्तियां भारतीय राज्य फार्म निगम (एसएफसीआई) को हस्तान्तरित करना।
	Ministry of Agriculture **Department of Agriculture and Cooperation**	**Non Plan** Major Head 2401-Crop Husbandry 103-Seeds 29-Grants-in-aid to State Farms Corporation of India 290031-Grants-in-aid	0.00	9.99	To pass on sale proceeds of Aralam Farm to SFCI to indicate statutory liability.
		आयोजना मुख्य शीर्ष 2401-फसल कार्य 103-बीज 25-बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए बीज आधारिक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण 250031-सहायता अनुदान			अतिरिक्त आवश्यकता वर्तमान योजनाओं को पुनर्संरचित योजना में शामिल करने के कारण है।
		Plan Major Head 2401-Crop Husbandry 103-Seeds 25-Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds. 250031-Grants-in-aid	16.70	21.52	Additional requirement is owing to ongoing schemes being subsumed in restructured scheme.
		109-विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण 25-कृषि विस्तार के लिए मास मीडिया समर्थन सहायता 250026-विज्ञापन एवं प्रचार 250032-अन्य प्रभार			अतिरिक्त आवश्यकता उच्चतर आवंटन वाली संशोधित योजना के अनुमोदन के कारण है।
		109-Extension & Farmers' Training 25-Mass Media support to Agricultural Extension			Additional requirement due to approval of revised scheme with higher allocation.
		250026-Advertising & Publicity	0.00	12.10	
		250032-Other Charges	0.00	10.49	
		26-राज्य विस्तार के लिए सहायता 260031-सहायता अनुदान			सीसीईए ने कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए योजना को अनुमोदन प्रदान किया है।
		26-Support to State Extension 260031-Grants-in-aid	0.00	26.95	CCEA has approved scheme for implementation through Implementing Agencies/States/UTs.

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		110-फसल बीमा 05-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के कार्यान्वयन हेतु साधारण बीमा निगम (जीआईसी)/ कृषि उद्योग निगम (एआईसी) को भुगतान 050032-अंशदान			अधिक दावों के निपटान हेतु।
		110-Crop Insurance 05-Payment to GIC/AIC for implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) 050032-Contribution	549.00	200.00	For settlement of more claims.
		114-तिलहन विकास 11-समेकित तिलहन, ऑयल पाम, दलहन एवं मक्का विकास 110031-सहायता अनुदान			अतिरिक्त आवश्यकता क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम और सीएसआईआर को उड़ीसा और कर्नाटक में पाम ऑयल मिलों की स्थापना करने के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के कारण है।
		114-Development of Oilseeds 11-Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses & Maize Development 110031-Grants-in-aid	59.40	5.00	Additional requirement is due to additional grants to Regional Research Lab. Trivandrum and CSIR for seeting of Palm Oil Mills in Orissa and Karnataka.
		119-बागवानी एवं वनस्पति फसलें 08-नारियल प्रोद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड को सहायता अनुदान 080031-सहायता अनुदान			अतिरिक्त आवश्यकता बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण है।
		119-Horticulture & Vegetable Crops 08-Grants in aid to Coconut Development Board including Technology Mission on Coconut 080031-Grants-in-aid	20.00	15.00	Additional requirement owing to implementation of various approved programmes by the board.
		30-सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास सबंधी प्रौद्योगिकी मिशन 300031-सहायता अनुदान			योजना की प्रगति के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से अतिरिक्त मांग के कारण।
		30-Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in NE States including Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttranchal. 300031-Grants-in-aid	40.00	14.90	Due to additional requirement from the implementing agencies on account of progress of the scheme.
		2402-मृदा एवं जल संरक्षण 800-अन्य व्यय 03-कार्य आयोजना के जरिए राज्यों के प्रयासों की अनुपूर्ति/सम्पूर्ति (वृहत्त-प्रबंधन) 030031-सहायता अनुदान			दमोदर घाटी निगम को अनुदान हेतु।
		2402-Soil & Water Conservation 800-Other Expenditure 03-Supplementation/ Complementation of States efforts through Work Plan (Macro-Management) 030031-Grants-in-aid	0.00	5.00	For grants to Damodar Valley Corporation.

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore*)

1	2	3	4	5	6
		2435-अन्य कृषि कार्यक्रम 800-अन्य व्यय 21-गांवों में गोदामों का निर्माण 210031-सहायता अनुदान 2435-Other Agricultural Programmes 800-Other Expenditure 21-Construction of Rural Godowns 300031-Grants-in-aid	68.40	20.00	योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता के कारण। Due to additional requirement under the scheme.
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान 03-केन्द्रीय आयोजना स्कीम के लिए अनुदान 451-फसल कार्य-बीज 09-बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज आधारिक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण 090031-सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. 03-Grants for Central Plan Scheme 451-Crop Husbandry-Seeds 09-Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds. 090031-Grants-in-aid	20.00	12.84	अतिरिक्त आवश्यकता वर्तमान योजनाओं को पुनर्संरचित योजना में शामिल करने के कारण है। Additional requirement is owing to ongoing schemes being subsumed in restructured scheme.
		04-केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना स्कीम के लिए अनुदान 453-तिलहनों का विकास 02- समेकित तिलहन, ऑयल पाम, दलहन एंव मक्का विकास 020031- सहायता अनुदान 04-Grants for Centrally sponsored Plan Scheme 453-Development of Oils Seeds 02-Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses & Maize Development 020031-Grants-in-aid	178.75	32.39	योजना की प्रगति के कारण और आईएसओपीओएम योजना के तहत कार्यान्वयन कार्यक्रमों के लिए राज्यों से प्राप्त अतिरिक्त मांग को पूरा करने के कारण। Due to progress of scheme and also for meeting additional requirement from the States for implementing programmes under ISOPOM scheme.
2.	**पशु पालन डेरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग** **Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries**	1. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन 1. Central Poultry Development Organisation	0.00	6.00	योजना में निधि की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। To meet the additional requirement of fund in the scheme
		2. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र 2. Regional Stations for Forage Production and Demonstration	0.00	1.12	-तदैव- -do-
		3. उत्तम एवं स्वच्छ दूध के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाना 3. Strengthening Infrastructure for Quality & Clean Milk	16.00	13.39	-तदैव- -do-
		4. पशु रोग नियंत्रण 4. Animal Disease Control	48.00	7.86	-तदैव- -do-
		5. समुद्री मात्स्यिकी आधारभूत ढांचे का विकास और मत्स्य पालन के बाद के कार्यकलाप			-तदैव-

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		5. Development of Marine Fisheries Infrastructure and Post Harvest	25.50	5.50	-do-
		6. राष्ट्रीय मछुआ कल्याण			-तदैव-
		6. National Welfare of Fishermen	21.10	8.70	-do-
		7. बड़े और छोटे पत्तनों पर मछली पकड़ने की सुविधाएं (मु.शी.3601)			-तदैव-
		7. Fishing Harbour Facilities at major and Minor Ports (M.H.3601)	12.00	3.71	-do-
		8. बड़े और छोटे पत्तनों पर मछली पकड़ने की सुविधाएं (मु.शी.3602)			-तदैव-
		8. Fishing Harbour Facilities at Major and Minor Ports (M.H.3602)	2.00	2.00	-do-
3.	**खान मंत्रालय**	I. भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण राजस्व भाग क. निर्देशन एवं प्रशासन प्रशासनिक सहायता			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु व्यय की पूर्ति के लिए।
	Ministry of Mines	I. Geological Survey of India Revenue Section A. Direction & Administration Administrative Support	34.95	8.10	To meet the expenditure for the beneift of North Eastern Region and Sikkim.
		ख. अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला अनुसंधान			-तदैव-
		B. Research & Development Laboratory Research	34.50	0.25	-do-
		ग. सर्वेक्षण एवं मानचित्रण भूतल, हवाई एवं समुद्री सर्वेक्षण			-तदैव-
		C. Survey & Mapping Ground, Aerial & Marine Survey	26.20	0.44	-do-
		घ. खनिज अनुसंधान आर्थिक खनिज पदार्थ			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए और प्रचालनात्मक कारणों और ड्रिलिंग उपकरणों के बार-बार स्थानांतरण पर हुए व्यय की पूर्ति तथा पीओएल में वृद्धि के लिए।
		D. Mineral Exploration Economic Minerals	10.90	1.86	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim & frequent shifting of drilling equipments for operational reasons & hike in POL.
		ङ अन्य व्यय विभिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय			-तदैव-
		E. Other Expenditure Miscellaneous Major Expenditure on different operations	47.99	1.18	-do-
		सूचना एवं प्रौद्योगिकी			पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ और आधुनिकीकरण प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।
		Information & Technology	6.75	5.08	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim & implementation of modernisation process.

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		पूँजी भाग अन्य व्यय			-तदैव-
		Capital Section Other Expenditure	0.01	0.01	-do-
		II. भारतीय खान ब्यूरो ***राजस्व भाग*** क. स्थापना			-तदैव-
		II. Indian Bureau Of Mines ***Revenue Section*** A. Establishment	11.68	2.67	-do-
		ख. प्रशिक्षण			-तदैव-
		B. Training	0.14	0.07	-do-
		ग. सूचना एवं प्रौद्योगिकी			-तदैव-
		C. Information & Technology	0.60	0.08	-do-
		पूँजी भाग अन्य व्यय			-तदैव-
		Capital Section Other Expenditure	0.01	0.02	-do-
		III. भारतीय खान ब्यूरो ***राजस्व भाग*** क. खानों का विनियमन एवं विकास भारतीय खान ब्यूरो मेडिकल चिकित्सा			नागपुर में सीजीएचएस दरों में संशोधन एवं सीजीएचएस द्वारा दवाईयों की आपूर्ति न किए जाने के कारण आवश्यकता की पूर्ति हेतु।
		III. Indian Bureau of Mines ***Revenue Section*** A. Regulation & Development of Mines Indian Bureau of Mines Medical Treatment	0.35	0.15	To meet the requirement due to revision of CGHS rates in Nagpur and non-supply of medicines by CGHS
4.	**सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग**	सड़क स्कन्ध एवं सीमा सड़क संगठन 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (मु. शी.) 03-केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप मु.शी.) 03.821-सामरिक महत्व की और सीमा सड़के-सड़क निर्माण कार्य (लघु शीर्ष) 02-बीआरडीबी के तहत सड़क निर्माण कार्य 02.00.31- सहायता अनुदान			
	Department of Road Transport & Highways	Roads Wing and Border Roads Organisation 3601-Grants-in-aid to State Governments (MH) 03- Grants for Central Plan Schemes (Sub MH) 03.821-Strategic and Border Roads-Road Works (Minor Head) 02-Road Works under BRDB 02.00.31-Grants-in-aid	64.00	10.17	
		5054-सड़कों एवं पुलों पर पूँजी परिव्यय (मु.शी.) 01-राष्ट्रीय राजमार्ग (उप मु. शी.) 01.052- मशीनरी एवं उपस्कर (लघु शीर्ष) 02- मशीनरी एवं उपस्कर 02.00.52- मशीनरी एवं उपस्कर			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में इस क्षेत्र के लिए निर्धारित सभी मामलों से संबंधित निधियों में से विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु।

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		5054-Capital Outlay on Roads & Bridges (MH) 01-National Highways (Sub MH) 01.052-Machinery & Equipment (Minor Head) 02-Machinery & Equipment 02.00.52-Machinery & Equipment	5.00	5.00	To meet expenditure on specific schemes/projects in the North Eastern Region and Sikkim out of funds earmarked for that Region in respect of all the cases.
		01.337- सड़क निर्माण कार्य (लघु शीर्ष) 01-सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य 01.02-अन्य योजनाएँ 01.02.53- मुख्य निर्माण कार्य 01.337-Road Works (Minor Head) 01-Works under Roads Wing 01.02-Other Schemes 01.02.53-Major Works	1541.47	118.83	
		02- सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें (उप मु.शी.) 02.337- सड़क निर्माण कार्य 03- बीआरडीबी के अंतर्गत निर्माण कार्य 03.00.53- मुख्य निर्माण कार्य 02-Strategic and Border Roads (Sub MH) 02.337-Road Works 03-Works under BRDB 03.00.53- Major Works	304.00	280.00	